राष्ट्रीय जनता दल
का
संविधान एवं नियम

राष्ट्रीय जनता दल

13, विठ्ठल भाई पटेल भवन
नई दिल्ली-110001

राष्ट्रीय जनता दल का संविधान एवं नियम

(राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् की पटना बैठक : 10 दिसम्बर, 2019 में यथा संशोधित एवं राष्ट्रीय जनता दल के ग्यारहवाँ महाधिवेशन (बापु सभागार, पटना) : 10 दिसम्बर, 2019 में यथा स्वीकृत)

नोट :- (1). संविधान एवं नियम हिन्दी भाषा में लिखित एवं स्वीकृत है।अन्य भाषा में अनुवादित किया गया है। विवाद की स्थिति में हिन्दी में लिखित संविधान एवं नियम के तहत ही व्यारव्या स्वीकार्य होगा।

(2). सिर्फ पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रान्तर्गत सभी विवाद हल किए जा सकेंगे।

प्रथम संस्करण	:	वर्ष 1999
संशोधित द्वितीय संस्करण	:	सितम्बर, 2003
संशोधित तृतीय संस्करण	:	अगस्त, 2007
संशोधित चतुर्थ संस्करण	:	जनवरी, 2016
संशोधित पंचम संस्करण	:	फरवरी, 2018
संशोधित षष्टम संस्करण		सितम्बर, 2021

© प्रकाशक को सुरक्षित

मूल्य : 100 रूपये मात्र

प्रकाशन में सहयोगीगण :-

1. श्री जगदानंद सिंह, पूर्व सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष,बिहार
2. श्री भोला यादव, पूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा सह राष्ट्रीय महासचिव
3. श्री आलोक मेहता, सदस्य, बिहार विधान सभा सह प्रधान महासचिव, बिहार
4. डॉ0 तनवीर हसन, पूर्व विधान पार्षद सह उपाध्यक्ष, बिहार
5. डॉ0 सुनील कुमार सिंह विधान पार्षद सह कोषाध्यक्ष, बिहार
6. श्री चितरंजन गगन, प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव, बिहार

प्रकाशक

राष्ट्रीय जनता दल

प्रधान कार्यालय	:	13, विठ्ठल भाई पटेल भवन, नई दिल्ली-110001 फोन/फैक्स : 011-23357182
कार्यालय	:	राबड़ी भवन, राउज एवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
कैम्प कार्यालय	:	2, वीरचंद पटेल पथ, पटना-800001 फोन : 0612-2506830, ैक्स : 0612-2506795
वेबसाईट	:	www.rjd.co.in
इ-मेल	:	rjdbihar2019@gmail.com, rjdyouth@gmail.com
ट्विटर	:	@RJDforIndia
ेसबुक	:	www.facebook.com/rjdparty/

प्रस्तावना

राष्ट्रीय जनता दल के संविधान एवं नियम का यह संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण है। 06जुलाई,2019 को पटना के होटल मौर्या में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में यह संशोधन एवं परिवर्द्धन किया गया है। 09 दिसम्बर, 2019 को पटना के होटल मौर्या में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ने इसका अनुमोदन किया और तदुपरांत 10 दिसम्बर 2019 को बापु सभागार पटना में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक और महाधिवेशन में यह स्वीकृत हुआ।

अनुक्रम

अध्याय			पृष्ठ संख्या
राष्ट्रीय जनता दल का संविधान			**1-26**
धारा- 1	:	पार्टी का नाम	1
धारा- 2	:	उद्देश्य	1
धारा- 3	:	संगठनात्मक ढांचा	2
धारा- 4	:	राज्य इकाइयों का क्षेत्र	3
धारा- 5	:	सदस्यता	3
धारा- 6	:	कार्यकाल	5
धारा- 7	:	सदस्यों की पंजिका या सूची	5
धारा- 8	:	मतदाता और उम्मीदवारों की योग्यताएं	6
धारा- 9	:	विशेष प्रतिनिधित्व	6
धारा- 10(क)	:	प्रारम्भिक कमिटी (बुथ कमिटी)	7
धारा- 10(ख)	:	पंचायत अथवा वार्ड कमिटी	7
धारा- 11	:	प्रखण्ड या तहसील परिषद	8
धारा- 12	:	जिला परिषद	9
धारा- 13	:	राज्य परिषद	10
धारा- 14	:	राष्ट्रीय परिषद	12
धारा- 15	:	विषय निर्धारण समिति	14
धारा- 16	:	राष्ट्रीय जनता दल का महाधिवेशन	14
धारा- 17	:	विशेष अधिवेशन	15
धारा- 18	:	डेलीगेट	16

धारा- 19	:	अध्यक्ष का चुनाव	16
धारा- 20	:	राष्ट्रीय कार्यकारिणी	18
धारा- 21	:	कोर ग्रुप	21
धारा- 22	:	अध्यक्ष	21
धारा- 23	:	प्रधान महासचिव	21
धारा- 24	:	कोषाध्यक्ष	22
धारा- 25	:	युवा राजद, छात्र राजद, महिला राजद एवं अन्य आनुषंगिक प्रकोष्ठ	22
धारा- 26	:	सदस्यता की छानबीन	23
धारा- 27	:	चुनाव संबंधी विवाद	23
धारा- 28	:	चुनाव तंत्र	23
धारा- 29	:	झण्डा	24
धारा- 30	:	चुनाव चिह्न	24
धारा- 31	:	केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड	25
धारा- 32	:	राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड	25
धारा- 33	:	अनुशासन सम्बन्धी कारवाई करने के लिए समितियां	25
धारा- 34	:	रिक्त स्थान	25
धारा- 35	:	संविधान में परिवर्तन	26

राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता फार्म 27 - 33

प्रारम्भिक सदस्यता फार्म (क)	28
क्रियाशील सदस्यता फार्म (ख)	30
क्रियाशील सदस्यता फार्म (ग)	32

राष्ट्रीय जनता दल का नियम 34 - 71

(1)	धारा-3 : उपबंध - 4 विधानसभा क्षेत्र इकाई	35
(2)	धारा-3 : उपबंध - 7 प्रारंभिक कमिटियां	35
(3)	धारा-4 : उपबंध-1 राज्य इकाइयों का क्षेत्र	35
(4)	धारा - 5(क) सदस्यता	36
(5)	धारा - 5(ख) क्रियाशील सदस्यता	40
(6)	धारा - 7 सदस्यों की पंजिका	42
(7)	प्रारम्भिक तथा क्रियाशील सदस्यों की सूची तैयार करना	44
(8)	धारा - 9 : विशेष प्रतिनिधित्व	44
(9)	धारा-10(क) : प्रारंभिक कमिटी (बुथ कमिटी)	46
(9)(क)	धारा-10(ख) : पंचायत या वार्ड कमिटी	47
(10)	धारा - 11 : प्रखण्ड कार्यकारिणी	47
(11)	धारा - 12 : जिला कार्यकारिणी	48
(12)	धारा - 13 : राज्य परिषद्	48
(13)	धारा - 14 : राष्ट्रीय परिषद्	48
(14)	धारा - 18 : डेलीगेट	48
(15)	धारा - 20 का उपबंध 9 : बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज	49
(16)	नामांकन मतदान की प्रक्रिया	49
(17)	धारा - 26 : सदस्यता की छानबीन	50
(18)	धारा - 27 : चुनाव संबंधी विवाद	52
(19)	धारा - 28 : चुनाव तंत्र	54

(20)	धारा - 31 : केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन	58
(21)	धारा - 32 : राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड	59
(22)	धारा - 33 : अनुशासन संबंधी नियम	59
	: मुअत्तिल या निलंबन करने का अधिकार	61
	: अनुशासन भंग होना	61
	: नोटिस	62
	: दंड	63
	: अनुशासनात्मक कारवाई की रिपोर्ट	64
	: अपील	64
(23)	विविध	64
(24)	सहवरित सदस्यों का कार्यकाल	66
(25)	पार्टी इकाई की सदस्यता चुनने का विकल्प	66
(26)	मतदान का तरीका	67
(27)	पार्टी परिषदों या कमिटियों का गठन	67
(28)	कार्यवाहक अध्यक्ष	68
(29)	जिला और उससे नीचे के स्तर पर तदर्थ समितियों का गठन	68
(30)	केन्द्रीय अनुशासन समिति के कार्य-पद्धति के नियम	69
(31)	अपील	70

*****

राष्ट्रीय जनता दल
का
संविधान

धारा - 1
पार्टी का नाम :

पार्टी का नाम ''राष्ट्रीय जनता दल''होगा।

धारा - 2
उद्देश्य :

राष्ट्रीय जनता दल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में पूर्ण आस्था तथा निष्ठा रखेगा और समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर भारत की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता बनाए रखेगा ।

स्वाधीनता संग्राम एवं समाजवादी आन्दोलन के दौरान, जिन उदात्त विचारों ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया था और जो विरासत हमें महात्मा गांधी, डा. भीम राव अम्बेदकर, महात्मा ज्योति राव फूले, रामास्वामी नायकर पेरियार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डा० लोहिया, चौधरी चरण सिंह एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों के रूप में मिली, उससे प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय जनता दल एक लोकतांत्रिक, धर्म-निरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र के निर्माण के लिए कृतसंकल्पित है । वह ऐसी राजव्यवस्था में विश्वास करता है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो । वह शांतिमय तथा लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार को स्वीकार करता है, जिसमें सत्याग्रह और अहिंसक विरोध शामिल है ।

धर्मतांत्रिक राज्य की अवधारणा राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धान्तों के विरूद्ध है और धर्मतांत्रिक राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य नहीं होगा ।

धारा - ३

संगठनात्मक ढांचा:

राष्ट्रीय जनता दल के निम्नलिखित अंग होंगे-

(1)	राष्ट्रीय	(क) राष्ट्रीय जनता दल का महाधिवेशन, विशेष अधिवेशन एवं खुला अधिवेशन
		(ख) राष्ट्रीय परिषद्
		(ग) राष्ट्रीय कार्यकारिणी
		(घ) कोर ग्रुप
(2)	राज्य इकाइयां	(क) राज्य परिषद्
		(ख) राज्य कार्यकारिणी
(3)	जिला इकाइयां	(क) जिला परिषद् (ख) जिला कार्यकारिणी
(4)	विधानसभा क्षेत्र इकाई	(क) विधानसभा क्षेत्र संयोजक
(5)	प्रखण्ड इकाइयां	(क) प्रखण्ड अथवा तहसील परिषद्
		(ख) प्रखण्ड अथवा तहसील कार्यकारिणी
(6)	पंचायत इकाईयां :	(क) पंचायत अथवा वार्ड कमिटी :
		(ख) पंचायत अथवा वार्ड कार्यकारिणी
(7)	प्रारम्भिक इकाईयां :	(क) प्रारंभिक (बुथ) कमिटियां :

नोट :

(क) प्रारम्भिक इकाई (बुथ) प्रखण्ड अथवा तहसील के क्षेत्र, संबंधित राज्य परिषद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

(ख) इस संविधान में उल्लेखित ''राज्य'' शब्द में ''केन्द्र शासित क्षेत्र'' भी शामिल होंगे ।

(ग) समस्त शहरों को, जहाँ नगर निगम हैं, इस संविधान के अंतर्गत अलग जिला माना जाएगा ।

(घ) ऐसे सभी महानगरीय क्षेत्रों को, जिनकी आबादी 15 लाख से ज्यादा है, एक से अधिक जिलों में विभक्त किया जा सकता है और उनका क्षेत्र राज्य कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

धारा- 4
राज्य इकाइयों का क्षेत्र :

(1) भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लेखित राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के अनुरूप राष्ट्रीय जनता दल की राज्य इकाईयों का गठन होगा, लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी महानगर में क्षेत्रीय स्तर की परिषद के गठन की स्वीकृति दे सकती है, जो राष्ट्रीय जनता दल की संबंधित राज्य की इकाई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होगी । इस परिषद के अधिकार और कार्यों की व्याख्या, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में की जाएगी ।

राज्य इकाई का मुख्यालय संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की राजधानी में रखा जाएगा लेकिन राज्य परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी से स्वीकृति लेकर राज्य इकाई का मुख्यालय बदल सकती है ।

धारा- 5
सदस्यता :

(क) (1) 15 वर्ष या अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जो धारा "2" को स्वीकार करता हो, फार्म "क" की लिखित घोषणा करने और दस रुपये त्रिवार्षिक चंदा देने पर, राष्ट्रीय जनता दल का प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा, परन्तु शर्त्त यह होगी कि वह किसी ऐसे अन्य राजनीतिक, साम्प्रदायिक अथवा किसी और दल का सदस्य न हो, जिसकी पृथक सदस्यता, कार्यक्रम और संविधान हों ।

राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी विधायक, सांसद या पदाधिकारी किसी भी साम्प्रदायिक संगठन की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा । राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी सदस्य किसी भी ऐसे संगठन अथवा संस्था में काम नहीं करेगा, जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रतिपादित नीति, सिद्धांत एवं कार्यक्रम के प्रतिकूल काम करता है ।

(2) कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थायी निवास में अथवा उस जगह में जहाँ वह अपना कामकाज करता हो, प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा ।

(3) प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता का कार्यकाल आगामी 3वर्ष या धारा 6 के अनुरूप संशोधित माना जायेगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति त्रिवार्षिक 25 प्रारम्भिक सदस्य भर्ती करने पर या 1000 रू सीधी तौर पर जमा कर और फार्म''ख''या ''ग'' के ''घोषणा पत्र'' पर हस्ताक्षर करने व नीचे लिखी शर्तों को पूरा करने पर क्रियाशील सदस्य बन सकेगा।

(1) पार्टी द्वारा प्रकाशित कम से कम एक पत्रिका का उसे ग्राहक बनना होगा ।

(2) उसकी आयु 15 वर्ष या अधिक हो ।

(3) वह मादक पेयों और नशीली दवाओं के प्रयोग से अपने को दूर रखता हो ।

(4) वह किसी भी प्रकार की छुआछूत न मानता हो और न ही उसे मान्यता देता हो ।

(5) वह साम्प्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखता हो, अर्थात् अन्य सभी धर्मों का आदर करता हो ।

(6) वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा निर्धारित कार्य पूरा करने का वायदा करता हो ।

(ग) प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता उस समय तक जारी रहेगी जब तक वह सदस्यता के नियमों के अनुसार त्रिवार्षिक चंदा का अदायगी करता रहेगा और दी गई अन्य शर्तों को पूरा करता रहेगा। प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता का नवीनीकरण, आवश्यक सदस्यता शुल्क जमा कराने और प्रारम्भिक अथवा क्रियाशील सदस्यता के नवीनीकरण फार्म भरने पर जैसी भी स्थिति हो, पूरा हुआ मान लिया जाएगा ।

(घ) प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों द्वारा दिया गया त्रिवार्षिक चन्दा विभिन्न परिषदों के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटा जाएगा :-

ग्रामीण क्षेत्र -

राष्ट्रीय परिषद्	15 प्रतिशत
राज्य परिषद्	25 प्रतिशत
जिला परिषद्	20 प्रतिशत
प्रखण्ड समिति	20 प्रतिशत
पंचायत एवं प्रारंभिक इकाई(बुथ कमिटी)	20 प्रतिशत

शहरी क्षेत्र -

राष्ट्रीय परिषद्	15 प्रतिशत
राज्य परिषद्	25 प्रतिशत
नगर पंचायत	30 प्रतिशत
वार्ड समिति एवं प्रारंभिक इकाई(बुथ कमिटी)	30 प्रतिशत

(ङ) राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तरों पर कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित चन्दे नियमित रूप से देने होंगे ।

(च) हर जिला इकाई को छः महीने में कम से कम एक बार अपने क्षेत्र के सभी क्रियाशील सदस्यों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने और उनके काम की छानबीन करने के लिए एक बैठक का आयोजन करना होगा।

धारा- 6
कार्यकाल :

सामान्यतः सभी पदाधिकारियों, प्रत्येक परिषद् और प्रत्येक कमिटी के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी। विशेष परिस्थिति में सभी पदाधिकारियों, प्रत्येक परिषद और प्रत्येक कमिटी की अवधि को 3वर्ष से कम या अधिक करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा। परन्तु इसकी स्वीकृति अगली होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेनी होगी।

धारा- 7
सदस्यों की पंजिका या सूची :

(1) क्रियाशील और प्रारम्भिक सदस्यों की स्थायी पंजिका या सूची, जिला कार्यकारिणी द्वारा तैयार की जाएगी और उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित राज्य कार्यकारिणी प्रमाणित करेंगी । राज्य कार्यकारिणी अपने क्रियाशील सदस्यों की सूची, राष्ट्रीय परिषद के केन्द्रीय कार्यालय में

भेजेंगी और वे उन्हें उन परिवर्तनों के बारे में भी सूचित करते रहेंगे, जो इसमें समय-समय पर किए जाएंगे ।

(2) जिला कार्यकारिणी द्वारा तैयार की गई पंजिकाओं या सूचियों में प्रत्येक सदस्य का पूरा नाम, पता, आयु, पेशा, निवास स्थान का पता, सदस्यता फार्म के क्रमांक और भर्ती की तारीख का उल्लेख रहेगा ।

(3) देहावसान हो जाने, त्यागपत्र देने, हटा दिए जाने तथा त्रिवार्षिक शुल्क न देने से सदस्यता खत्म हो जाएगी ।

धारा- 8

मतदाता और उम्मीदवारों की योग्यताएं :

(1) प्रत्येक प्रारम्भिक सदस्य, जिसका नाम इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार की गई प्रारम्भिक सदस्यों की सूची या पंजिका में दर्ज हो, प्रारम्भिक कमिटी के चुनाव में मतदान कर सकेगा ।

(2) केवल क्रियाशील सदस्य को, जिसका नाम क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में हो, किसी भी परिषद या कार्यकारिणी की सदस्यता के चुनाव के लिए, जो प्रारम्भिक इकाई के ऊपर के स्तर की हो, खड़े होने का अधिकार होगा ।

धारा- 9

विशेष प्रतिनिधित्व :

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य व उससे निचले स्तर की कार्यकारिणियां राष्ट्रीय परिषद, राज्य तथा अन्य संबंधित निचले स्तर के परिषदों के 10 प्रतिशत के बराबर सदस्य सहवरित कर सकेंगी ।
2. राष्ट्रीय, राज्य और निचले स्तर पर सहवरित किए जाने वाले सदस्यों को किसी भी संगठनात्मक चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को सहवरित सदस्य होने के कारण, सामान्यतः किसी समिति की पूर्ण सदस्यता पाने के हेतु, चुनाव में लड़ने से रोका जाएगा ।

3. “ब्लॉक स्तर एवं उसके ऊपर के परिषदों, समितियों व पदाधिकारियों के गठन के चुनाव में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछड़े एवं अतिपिछड़े वर्गो, अनुसूचित जाति और जनजातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए जिसमें उपरोक्त वर्गो में से कम-से-कम एक-एक सदस्य अवश्य सम्मिलित हों।”

धारा- 10 (क)

प्रारम्भिक कमिटी (बुथ कमिटी) :

(1) प्रारम्भिक इकाई (बुथ कमिटी) की स्थापना ऐसे क्षेत्र में की जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सीमा क्षेत्र या नगर परिषद् के वार्ड जहां कम से कम 25 प्रारम्भिक सदस्य हो और एक क्रियाशील सदस्य हो, जिसका निर्धारण, संबंधित जिला परिषद करेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रारम्भिक इकाई की स्थापना ऐसे स्थान पर भी की जा सकती है, जहां कम से कम 15 प्रारम्भिक सदस्य हों।

(2) प्रारम्भिक कमिटी (बुथ कमिटी) में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे, जिनमें प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा इकाई के निर्वाचित अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

(3) प्रारम्भिक कमिटी का अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का क्रियाशील सदस्य होगा।

(4) प्रारम्भिक कमिटी के सदस्यों में से अध्यक्ष एक महासचिव नियुक्त कर सकता है।

धारा- 10 (ख)

पंचायत या वार्ड कमिटी :

(1) पंचायत / वार्ड कमिटी के कार्यकारिणी में 19 सदस्य होंगे जिसमें निर्वाचित अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

(2) पंचायत / वार्ड कमिटी का अध्यक्ष सहित कमिटी के सभी सदस्य राष्ट्रीय जनता दल क्रियाशील सदस्य होगा।

(3) पंचायत / वार्ड कमिटी के सदस्यों में अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रधान महासचिव, दो महासचिव एवं तीन सचिव नियुक्त कर सकता है।

(4) पंचायत / वार्ड कमिटी का अध्यक्ष अपने क्षेत्र में कम से कम तीन महिने में एक बार अपने पदाधिकारियों एवं पारंभिक इकाई (बुथ कमिटी) के पदाधिकारियों का बैठक बुलायेंगें।

(5) पंचायत / वार्ड कमिटी के कार्यकारिणी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) पंचायत / वार्ड कार्यकारिणी के क्षेत्र के अन्तर्गत प्रारंभिक (बुथ) इकाईयां जिसकी सदस्य संख्या 25 तक है, एक एक सदस्य चुनेगी। जिनकी संख्या 25 से अधिक है दो सदस्य चुनेगी।

(ख) पंचायत / वार्ड कार्यकारिणी के अन्तर्गत बुथ कमिटी पांच प्रतिनिध चुनकर भेजेंगे।

(ग) सहवरित सदस्य।

धारा- 11

प्रखण्ड या तहसील परिषद :

(1) प्रवण्ड अथवा तहसील परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) प्रवण्ड अथवा तहसील परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत प्रारम्भिक इकाइयां, जिनकी सदस्य संरव्या 100 तक है, एक-एक सदस्य चुनेंगी, और जिनकी सदस्य संरव्या 100 से अधिक है, दो-दो सदस्य चुनेंगी ।

(रव) प्रवण्ड अथवा तहसील परिषद के अंतर्गत पंचायत समितियों और नगरपालिका निकायों में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यगण अपने में से 10 प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे ।

(ग) सहवरित सदस्य ।

(2) प्रखण्ड या तहसील परिषद की कार्यकारिणी में 25 सदस्य होंगे, जिनमें निर्धारित नियमों के अनुसार प्रखण्ड या तहसील परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं। प्रखण्ड या तहसील परिषद के सदस्यों में से ही प्रखण्ड या तहसील परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त करेंगें:-

उपाध्यक्ष	-	3
कोषाध्यक्ष	-	1
प्रधान महासचिव	-	1
महासचिव	-	4
सचिव	-	6

(3) प्रखण्ड या तहसील इकाई का अध्यक्ष अपने क्षेत्र में कम से कम तीन महीनों में एक बार अपने पदाधिकारियों एवं पंचायत/वार्ड इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाएगा।

धारा-12

जिला परिषद :

1. जिला परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(1) जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रखण्ड या तहसील के कार्यकारिणी के सदस्य।

(2) संबंधित जिला परिषद के अन्तर्गत स्वायत्त संस्थाओं, पंचायतों के सदस्यों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने में से ही, निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।

(3) जिला परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हो और जो क्रियाशील सदस्य हो।

(4) जिले से राष्ट्रीय जनता दल का विधायक/सांसद/पूर्व विधायक/ पूर्व सांसद जो पार्टी के सक्रिय सदस्य हों।

(5) विधानसभा क्षेत्र के संयोजक।

(6) जिलों के नगर निगम, नगरपालिका और जिला बोर्ड, जिला परिषद अथवा जनपद में राष्ट्रीय जनता दल के नेता।

2. जिला कार्यकारिणी में 31 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें निर्धारित नियमों के अनुसार जिला परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष भी शामिल हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों में से निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त करेंगे :-

उपाध्यक्ष	-	4
कोषाध्यक्ष	-	1
प्रधान महासचिव	-	1
महासचिव	-	5
सचिव	-	6

3. जिला अध्यक्ष तीन महीने में कम से कम एक बार अपने जिले में मध्यवर्ती इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन करेगा।

धारा-13

राज्य परिषद् :

1. राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) प्रत्येक विधान सभा चुनाव-क्षेत्र से जिला परिषदों द्वारा निर्वाचित एक-एक सदस्य।

(ख) संबंधित राज्य में राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल के सभी सदस्य, संबंधित राज्य से राष्ट्रीय जनता दल के सभी संसद सदस्य एवं पूर्व विधायक/पूर्व सांसद जो सक्रिय सदस्य हों।

(ग) राज्य परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल

पूरा किया हो और वे राष्ट्रीय जनता दल के क्रियाशील सदस्य हों।

(घ) राष्ट्रीय जनता दल के राज्य के दोनों सदन के नेता।

(ङ) जिला परिषदों के अध्यक्ष, लेकिन शर्त यह होगी कि वे राज्य परिषद के अध्यक्ष अथवा सचिव नहीं बन सकेंगे।

(च) राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, जो राज्य में रहते हों।

(छ) सहवरित सदस्य।

(2) राज्य परिषद का प्रत्येक सदस्य परिषद को हर तीन वर्ष या कार्यकाल के लिए 500 रुपये शुल्क देगा ।

(3) राज्य की कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 121 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो निर्धारित नियमों के अनुसार राज्य परिषद द्वारा चुने जायेगें। राज्य राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों में नीचे लिखे पदाधिकारी नियुक्त करेंगे :–

उपाध्यक्ष–9

प्रधान महासचिव–1

कोषाध्यक्ष–1

महासचिव–15

सचिव–25

राष्ट्रीय जनता दल के दोनों सदनों के नेता राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(4) राज्य राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने क्षेत्र की जिला इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक कम से कम छः महीने में एक बार किया जाय।

धारा-14

राष्ट्रीय परिषद् :

(1) राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) संबंधित राज्य से निर्वाचित लोक सभा सदस्यों की संख्या के बराबर, जिसे राज्य को चुनने का अधिकार है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्येक राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा उनमें से ही, इकहरी हस्तांतरणीय मतदान पद्धति के अनुसार, अनुपातिक प्रणाली द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे।

(ख) राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषदों के समस्त अध्यक्ष, जिला परिषदों के सभी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के राज्य के दोनों सदनों के नेता और राष्ट्रीय जनता दल संसदीय दल के नेता।

(ग) दल के सभी वर्तमान एवं पूर्व सांसद ।

(घ) दल के भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री व भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो राष्ट्रीय जनता दल के क्रियाशील सदस्य हैं।

(ङ) सहवरित सदस्य।

(च) राष्ट्रीय परिषद के 5 प्रतिशत सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से मनोनीत किए जाएंगे।

(2) राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद को इस संविधान के अनुरूप राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित मामलों के नियमन हेतु, कदम उठाने का अधिकार होगा और मातहत इकाइयों को उसके आदेश का पालन करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आम तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी बार आवश्यक समझेंगे उतनी बार

होगी, अथवा जब पूर्ण मताधिकार प्राप्त राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सम्मिलित आवेदन-पत्र भेजेंगे तब होगी। ऐसे आवेदन पत्र में उस कारण का विशुद्ध रूप से विश्लेषण किया जाएगा, जिसके लिए सदस्यगण राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाना चाहते हैं । आवेदन-पत्र भेज कर बुलाई गई बैठक आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 2 माह के अंदर होगी, लेकिन शर्त यह होगी कि एक साल में एक बार से अधिक आवेदन पत्र भेज कर इस तरह की बैठक नही बुलाई जा सकेगी। इस तरह की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अतिरिक्त विषयों को भी विचारार्थ प्रस्तुत कर सकेगी।

(3) आवेदन-पत्र भेजकर बुलाई गई बैठकों के अलावा राष्ट्रीय परिषद् की अन्य सभी बैठकों में उन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कम से कम चार घण्टे का समय दिया जाएगा, जिनके बारे में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार उचित पूर्व सूचना दे दी गई होगी।

(4) राष्ट्रीय परिषद् की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का पांचवां भाग कोरम माना जाएगा।

(5) राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य हर तीन वर्ष या कार्यकाल के लिए 1000 रुपये शुल्क देगा। वह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव या उनके द्वारा अधिकृत महासचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ ऐसा प्रमाण-पत्र हासिल करेगा कि वह राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य है। बिना शुल्क दिए कोई सदस्य राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक, विषय निर्धारण समिति की बैठक या राष्ट्रीय जनता दल के खुले अधिवेशन में भाग नहीं ले सकेगा।

धारा-15

विषय निर्धारण समिति :

(1) राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक विषय निर्धारण समिति के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का खुला अधिवेशन होने से पूर्व अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत उपाध्यक्ष के सभापतित्व में होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी विषय निर्धारण समिति के समक्ष कार्यक्रम पेश करेगी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के खुले अधिवेशन में पेश करने हेतु प्रस्तावों के मसविदे शामिल होंगे ।

(2) राज्य परिषदों अथवा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा जिन प्रस्तावों के बारे में उचित सूचना दी जा चुकी होगी उन पर यथासम्भव सोच-विचार करने के लिए चार घंटे का समय दिया जाएगा।

धारा-16

राष्ट्रीय जनता दल का महाधिवेशन:

(1) राष्ट्रीय जनता दल का महाधिवेशन सामान्यत: तीन साल में एक बार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित किए गए समय और स्थान पर होगा, जिसमें कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय परिषद की बैठक एवं खुला अधिवेशन (प्रतिनिधि सभा) आयोजित किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य प्रतिनिधि (डेलीगेट) होंगे।

(3) राष्ट्रीय जनता दल का महाधिवेशन पहले उन प्रस्तावों पर विचार करेगा, जिनके स्वीकार करने की विषय निर्धारण समिति ने सिफारिश की होगी। इसके पश्चात् अधिवेशन ऐसे सारगर्भित प्रस्तावों पर विचार करेगा, जो ऊपर लिखित प्रस्तावों के मसविदों में शामिल नहीं

किया गया, पर जिसके लिए उस दिन की बैठक आरम्भ होने से पूर्व 50 डेलीगेटों ने राष्ट्रीय जनता दल के अधिवेशन के सम्मुख पेश करने की अनुमति पत्र लिख कर मांगी हो, लेकिन इसमें शर्त यह रहेगी कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस पर विषय निर्धारण समिति की बैठक में पहले बहस न हो चुकी हो और विषय निर्धारण समिति में उस समय उपस्थित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हुआ हो।

(4) जिस राज्य परिषद के अधिकार-क्षेत्र में महाधिवेशन होगा, वह स्वागत समिति के रूप में व्यवस्था करेगी और इस कार्य के लिए उसे अन्य व्यक्तियों को भी स्वागत समिति का सदस्य बनाने का अधिकार होगा।

(5) स्वागत समिति महाधिवेशन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगी, जिसमें धन संग्रह और उसका हिसाब रखना भी शामिल होगा। अधिवेशन के पश्चात् 6 महीने के अंदर इस हिसाब-किताब का ऑडिट राष्ट्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त ऑडिटरों से कराया जायेगा।

(6) स्वागत समिति के पास जो कुछ धनराशि बची रहेगी, वह राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् और राज्य परिषद् के बीच बराबर विभक्त कर दी जाएगी।

धारा-17

विशेष अधिवेशन :

(1) राष्ट्रीय जनता दल का विशेष अधिवेशन तब होगा, जब राष्ट्रीय परिषद् ऐसा निश्चित करे या अधिकांश राज्य परिषदें कार्यसूची की चर्चा कर अपने प्रस्तावों द्वारा अध्यक्ष से इस प्रकार के विशेष अधिवेशन बुलाये जाने की प्रार्थना करे।

(2) महाधिवेशन के डेलीगेट विशेष अधिवेशन के भी डेलीगेट होंगे।

(3) इस प्रकार विशेष अधिवेशन की व्यवस्था उस राज्य परिषद् द्वारा की जाएगी, जिसे अधिवेशन का आयोजन करने के लिए चुना जाएगा।

धारा-18

डेलीगेट :

राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के समस्त सदस्यों के अतिरिक्त प्रारम्भिक सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के खुले अधिवेशन के डेलीगेट होंगे।

धारा-19

अध्यक्ष का चुनाव :

(1) अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी एक को निर्वाचन अधिकारी के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी। निर्वाचन अधिकारी निर्धारित नियमों के अनुसार मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा और मतदान की व्यवस्था करेगा।

(2) राष्ट्रीय परिषद् में कोई भी 10 सदस्य, संयुक्त रूप से किसी भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का नाम, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष के पद पर चुने जाने के लिए पेश कर सकेंगे। ऐसे प्रस्ताव का राष्ट्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित नियमों के अनुसार पहुंच जाना जरूरी होगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों से अपना नाम वापस लेने वाले व्यक्तियों के नाम छोड़कर, शेष उम्मीदवारों के नाम तुरन्त प्रकाशित कर देंगे। उम्मीदवारी वापिस लेने व नाम निकाल लेने के बाद, यदि सिर्फ एक ही उम्मीदवार शेष रह जाए, तो उसी व्यक्ति को आगामी

अधिवेशन का उचित रूपेण निर्वाचित अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा।

(4) अध्यक्ष के लिए राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित की गई तारीख पर, जो सामान्यतः चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के नामों के अन्तिम प्रकाशन के कम से कम सात दिन के बाद ही होगी, राष्ट्रीय परिषद के प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष के चुनाव के लिए, नीचे लिखे तरीके के अनुसार मत देने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य वोट के पर्चे पर, जिस पर उम्मीदवारों के नाम होंगे, किसी एक के पक्ष में ही मत देगा। यदि दो से अधिक उम्मीदवार हों, तो किसी एक के पक्ष में वह मत दे रहा हो, उनके सामने 1, 2 आदि अंक लिख कर दो तरजीहें दिखाएगा। दो से अधिक उम्मीदवारों के होने की अवस्था में राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य चाहे तो दो से अधिक तरजीहें भी दिखा सकेगा। वोट देने के पर्चे इस कार्य के लिए निर्धारित बैलेट बॉक्स अर्थात मतदान पेटी में रखे जायेंगे।

(5) बैलेट बॉक्स अर्थात् मतदान पेटियों को मतदान केन्द्र अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के पास भेजेंगे। बैलेट बॉक्स के मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी यथाशीघ्र प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए मतों की, अर्थात् पहली तरजीहों की गणना करेगा। यदि कोई उम्मीदवार कुल मतों में से पहली तरजीह के 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करेगा तो उसे अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली तरजीहों के 50 प्रतिशत से अधिक मत न मिले तो, जिस उम्मीदवार को पहली तरजीहों में सबसे

कम मिलेगा उसका नाम निकाल दिया जाएगा और जिन मतदाताओं ने उसे पहली तरजीह दी होगी, उनकी दूसरी तरजीहों को बाकी उम्मीदवारों की मतगणना करते समय गिना जाएगा। इस गणना में जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिलेंगे, उसका नाम निकाल दिया जाएगा और दिखाई गई तरजीहों के अनुसार मतों का हस्तांतरण कर लगातार गणना करते चले आने पर जब सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम निकाले जा चुकेंगे, तो शेष दो उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार कुल पड़े मतों में बहुमत प्राप्त करेगा, उसे अध्यक्ष के तौर पर चुना गया घोषित कर दिया जाएगा।

(6) किसी कारणवश संकटापन्न स्थिति पैदा हो जाने की अवस्था में, उदाहरणार्थ उपर्युक्त ढंग से निर्वाचित अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने या उनके पद त्याग कर देने के कारण, उपर्युक्त ढंग पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा नये सिरे से निर्वाचन कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी तुरन्त तारीख निश्चित करेगी। नए अध्यक्ष का चुनाव छः महीने के अवधि के अन्दर होगा। नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाने तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष चुनेगी।

(7) राष्ट्रीय जनता दल के खुले या पूर्ण अधिवेशन या विशेष अधिवेशन का सभापतित्व, अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद करेगा। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन न हो रहा हो, तो वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा।

धारा-20

राष्ट्रीय कार्यकारिणी :

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष और 84 सदस्य होंगे, जो राष्ट्रीय

परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चुने जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से अधिकतम पांच उपाध्यक्ष, एक प्रधान महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, बारह महासचिव तथा बारह सचिव नियुक्त कर सकते हैं।

2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी बैठक के लिए कोरम पच्चीस होगा।

3. राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बड़ी सर्वाधिक अधिकार प्राप्त कार्यकारिणी होगी और उसे राष्ट्रीय जनता दल के खुले अधिवेशन या विशेष अधिवेशन तथा राष्ट्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का अधिकार होगा। वह राष्ट्रीय परिषद् के प्रति उत्तरदायी होगी। इस संविधान की धाराओं की व्याख्या और प्रयोग सम्बन्धी सभी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार निर्णायक होगा।

4. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद की प्रत्येक बैठक के सम्मुख, उसकी पिछली बैठक की कारवाइयों का विवरण और उस बैठक की विषय सूची रखेगी। साथ ही, वह ऐसे निजी प्रस्तावों के लिए भी समय निर्धारित करेगी, जिनकी उचित सूचना राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार दे दी गई हो।

5. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, दल की समस्त इकाइयों के रिकार्ड, कागजात और बही-खातों की जांच करने के लिए एक या एक से अधिक ऑडिटरों की नियुक्ति कर सकेगी। इस प्रकार की समस्त इकाइयों एवं संगठनों के लिए इन ऑडिटरो को सब तरह की जानकारी कराने और अपने सभी दफ्तरों के हिसाब एवं रिकार्डों के निरीक्षण करने की सुविधा देना आवश्यक होगा।

6. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(क) संगठन को सुचारु रूप से चलाने के लिए नियम बनाना, ऐसे नियम शीघ्रताशीघ्र राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् के सामने विचार के लिए रखे जाएंगे।

(ख) राष्ट्रीय जनता दल की समस्त इकाइयों को ऐसे आदेश देना, जो संविधान से असंगत न हों।

(ग) अनुशासन संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

(घ) संविधान की धारा 5 और 8 के उपबन्धों को विशेष मामलों में स्थगित करने का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अधिकार होगा।

7. राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् के हिसाब की जांच, प्रति वर्ष नियुक्त किए गए ऑडिटर या ऑडिटरों से कराएगी।

8. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वह तारीख निश्चित करेगी, जिस पर मातहत जिला और राज्य इकाइयों तथा राष्ट्रीय परिषद् के गठन का कार्य पूरा करना होगा।

9. राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् की जायदादों के संचालन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी पांच सदस्यीय स्थायी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद की अध्यक्षता में नियुक्त करती है। इस बोर्ड में स्थान रिक्त होने पर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद रिक्ति को भर सकेंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का स्वरूप स्थायी होगा।

धारा-21

कोर ग्रुपः

राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकारिणी के सदस्यों में से राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित ग्यारह सदस्यीय कोर ग्रुप गठित कर सकेगी जो विशेष अवसरों पर निर्णय कर सकेगी जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक में रखा जा सकेगा। तत्कालिक विषयों पर निर्णय लेने हेतु यह सर्वोच्च समिति होगी। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगी।

धारा-22

अध्यक्ष

संगठन में सर्वोच्च अधिकार अध्यक्ष के पास रहेगा। कोर ग्रुप, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखे जाने वाले विषयों पर विमर्श के पश्चात् निर्णय न होने की स्थिति में अध्यक्ष अन्तिम निर्णय कर सकेंगे।

धारा-23

प्रधान महासचिव :

अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अधीन प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के कार्य संचालन के व्यवस्थापक होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के खुले अधिवेशन की कारवाइयों का विवरण तैयार कराने और प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी प्रधान महासचिव की होगी। प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद् एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं कोर ग्रुप के कार्य का ऑडिट तथा किए हिसाब का विवरण तैयार करेंगे, जो इसी प्रकार पेश किए या पिछले विवरण के बाद के कार्यकाल का होगा और उसे वे राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में पेश करेंगे जिसे बैठक से पहले सदस्यों के पास भेज दिया जाएगा। अध्यक्ष के निदेशानुसार प्रधान महासचिव, महासचिवों व सचिवों का कार्य का निर्धारण करेंगे।

धारा-24

कोषाध्यक्ष :

कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के कोष का व्यवस्थापक होगा और वह समस्त पूंजी विनियोग, आमदनी तथा खर्च का ठीक-ठीक हिसाब रखेगा।

धारा-25

युवा राजद, छात्र राजद, महिला राजद एवं अन्य आनुषंगिक प्रकोष्ठ

1. राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने के उद्देश्य से युवा राजद, छात्र राजद एवं महिला राजद का गठन किया जायेगा। युवा राजद और छात्र राजद राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के दायरे में उप-विधि बना सकती है जिसका अनुमोदन पार्टी से कराना आवश्यक है। छात्र राजद और युवा राजद में एक-एक अंतरराष्ट्रीय सचिव का पद होगा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा। अंतरराष्ट्रीय सचिव अंतरराष्ट्रीय स्तर के अथवा दूसरे देशों के छात्र और युवा संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे।
2. इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुरूप आनुषंगिक संगठन के रूप में किसान, मजदूर, पंचायती राज्य, सहकारिता, क्रीड़ा, सांस्कृतिक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, आपदा, दस्तकार, बुनकर, अभिलेख संग्रह के साथ ही दलित, महादलित, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं अन्य प्रकोष्ठों का गठन किया जायेगा।
3. आनुषंगिक संगठन एवं प्रकोष्ठों का स्वरूपगत ढांचा मूल संगठन के ढांचे के अनुरूप होगा।

राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, प्रखण्ड स्तर एवं पंचायत/वार्ड स्तर पर इन आनुषंगिक इकाइयों का गठन, संगठन के सम्बन्धित इकाई के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

धारा-26

सदस्यता की छानबीन :

जिला परिषद और राज्य परिषद की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की भर्ती और उनके संबंध में शिकायतों को निपटाने के लिए समय-समय पर व्यवस्था करेगी। लेकिन जब कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को गंभीर शिकायतें मिलेगी, तो उसे ऐसी शिकायतों की जांच पड़ताल हेतु समिति का गठन एवं उसके प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कारवाई करने का अधिकार होगा।

धारा-27

चुनाव संबंधी विवाद :

जिला परिषद और राज्य परिषद की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, चुनाव संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए व्यवस्था करेगी। राष्ट्रीय जनता दल की राज्य कार्यकारिणी के निर्णयों के विरुद्ध, अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार निर्धारित विधि के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा।

धारा-28

चुनाव तंत्र :

राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषद् और जिला परिषद् राज्य इकाई

के अध्यक्ष और जिला इकाई के अध्यक्ष के चुनाव के समय राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे।

2. राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के सभी चुनावों के संचालन का प्रबन्ध करेगा। वह सहायक निर्वाचन अधिकारी और ऐसे ही अन्य अधिकारी, जो राज्य में चुनाव का सुचारु प्रबंध करने के लिए आवश्यक हों, नियुक्त करेगा, वह ऐसे दूसरे कार्यों का भी संपादन करेगा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समय-समय पर उसके लिए निर्धारित करें।

3. राज्य निर्वाचन अधिकारी, साधारणतः पूरे कार्यकाल तक इस पद पर रहेगा, लेकिन वह तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक कि नए राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए कुछ नियमों के अनुसार अपने पद से उसे हटा नहीं दिया जाता।

धारा-29

झण्डा :

राष्ट्रीय जनता दल का झण्डा हरे रंग का होगा और उसमें राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह 'हरिकेन लैम्प' (लालटेन) सफेद रंग में अंकित होगा।

धारा-30

चुनाव चिन्ह

राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिह्न भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित हरिकेन लैम्प (लालटेन) होगा।

धारा-31

केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड :

राष्ट्रीय कार्यकारिणी संसद में राष्ट्रीय जनता दल की संसदीय गतिविधियों, विधान सभाई दलों की गतिविधियों के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के नेतृत्व में गठन करेगी।

धारा-32

राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड :

राज्य कार्यकारिणी राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से करेगी।

धारा-33

अनुशासन सम्बन्धी कारवाई करने के लिए समितियां :

निर्धारित नियमों के अनुसार, अनुशासन भंग करने के मामलों को निपटाने हेतु, अनुशासन सम्बन्धी कारवाई करने के लिए समितियों का गठन विभिन्न स्तरों पर किया जाएगा।

धारा-34

रिक्त स्थान :

(1) किसी डेलीगेट या इस संविधान के अनुसार बनी किसी इकाई अथवा बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा पद से त्याग-पत्र दे देने, हट जाने या मृत्यु हो जाने से रिक्त स्थान की पूर्ति, उसी ढंग से की जाएगी जिस ढंग से स्थान रिक्त करने वाले सदस्य चुने गए थे और इस प्रकार चुने गए सदस्य, रिक्त स्थान की शेष अवधि तक अपना पद सम्भालेंगे।

(2) किसी विपरीत नियम का प्रावधान न होने की अवस्था में एक बार विधिवत बनी हुई कोई इकाई या बोर्ड, किसी स्थान के रिक्त हो जाने के कारण अवैध नहीं होगा।

धारा-35

संविधान में परिवर्तन :

इस संविधान में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के खुले अधिवेशन द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक को जो उचित नोटिस द्वारा बुलाई गई हो और जिसमें उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई का बहुमत हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सिफारिश पर, संविधान में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय परिषद द्वारा किये गये परिवर्तन राष्ट्रीय जनता दल के आगामी खुले अधिवेशन के सामने पुष्टि के लिए रखे जाएंगे, किन्तु पुष्टि होने से पहले भी उन्हें राष्ट्रीय परिषद् द्वारा निश्चित की गई तारीख से अमल में लाया जा सकेगा।

*****

राष्ट्रीय जनता दल

का

सदस्यता फार्म

राष्ट्रीय जनता दल

प्रारम्भिक सदस्यता फार्म (क)

(राज्य का नाम) क्रमांक................

शपथ

मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रारम्भिक सदस्य भर्ती होना चाहता हूँ। मेरी आयु 15 वर्ष से अधिक है और मैं राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में विश्वास रखता हूँ।

विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में मेरा पूर्ण विश्वास तथा निष्ठा है और मैं समाजवाद, धर्म निरपेक्षवाद तथा लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित भारत की एकता, संप्रभुत्ता और अखण्डता बनाए रखूँगा।

महात्मा गांधी ने देश के समक्ष जिन मूल्यों और आदर्शों को रखा उन्हें मैं स्वीकार करता हूँ और स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो विरासत और उच्च परम्परायें भारत को मिली उनसे प्रेरणा लेकर, मैं अपने आपको एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र के निर्माण के कार्य में समर्पित करता हूँ ।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह कार्य सिर्फ शांतिमय उपायों से पूरा किया जा सकता है, जिनमें सत्याग्रह अथवा अहिंसक विरोध भी शामिल है।

मैं किसी ऐसे अन्य राजनीतिक, साम्प्रदायिक अथवा अन्य दल का सदस्य नहीं हूँ, जिसका पृथक विधान एवं कार्यक्रम हो। मैं खादी को बढ़ावा

देने और नशाबंदी में विश्वास रखता हूँ। जाति अथवा सम्प्रदाय के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता।

मैं राष्ट्रीय जनता दल के संविधान, नियमों और अनुशासन का पालन करने का वचन देता हूँ।

क्रमांक.. राज्य का नाम................................दिनांक.....................

श्री/श्रीमती..

पिता/पति का नाम ....

स्थायी निवास व कारोबार की जगह...

....मो0:...

उम्र...पेशा...

इस फार्म के साथ मैं सदस्यता शुल्क के तौर पर वर्ष 20.........एवं 20..........

के लिए दस रूपये जमा कर रहा/रही हूँ।

(हस्ताक्षर भर्तीकर्त्ता) (ह0 राष्ट्रीय अध्यक्ष) (हस्ताक्षर प्रार्थी)

प्रार्थी को दी जानेवाली रसीद

रसीद संख्या..राज्य...............................दिनांक............................

श्री/श्रीमती...

पिता/पति का नाम...

स्थायी निवास व कारोबार की जगह...

उम्र................................पेशा...से राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता हेतु वर्ष 20..........एवं 20.............के लिए दस रूपये सहित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

(ह0 राष्ट्रीय अध्यक्ष) ***(हस्ताक्षर भतीकर्ता)***

राष्ट्रीय जनता दल

क्रियाशील सदस्यता फार्म (ख)

(संविधान की धारा ५(ख) के अनुसार)

क्रमांक..................

मैं राष्ट्रीय जनता दल का 20............से 20........... वर्ष के लिए क्रियाशील सदस्य भर्ती होना चाहता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि–

1. मेरी आयु 15 वर्ष अथवा अधिक है।
2. मैं अपने को मादक पेयों और औषधियों के प्रयोग से दूर रखता हूँ।
3. मैं किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को नहीं मानता हूँ और न ही उसे मान्यता देता हूँ।
4. मैं साम्प्रदायिक सदभाव में विश्वास रखता हूँ अर्थात् अन्य सभी धर्मों का आदर करता हूँ।
5. मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करने और न्यूनतम कार्यभार पूरा करने का वादा करता हूँ।
6. मैं...................से.....................तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय जनता दल प्रकाशन का ग्राहक बन गया हूँ।

क्र.स..........................राज्य....................................दिनांक..................................

श्री/श्रीमती..

पिता/पति का नाम...

स्थायी निवास व कारोबार की जगह..

....मो0:..

आयु...पेशा...

.मैं वर्ष 20................एवं 20.......................तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय जनता दल का सक्रिय सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ, जिसके लिए भर्ती किये गये 25 प्राथमिक सदस्यों का सदस्यता शुल्क 250 रूपये जमा कर रहा/रही हूँ।

(ह0 राष्ट्रीय अध्यक्ष) (प्रार्थी का हस्ताक्षर)

प्रार्थी को दी जानेवाली रसीद

क्रम संख्या....................................राज्य का नाम..........................दिनांक.....................

श्री/श्रीमती..

स्थायी निवास व कारोबार की जगह...

उम्र...पेशा..से वर्ष 20................

से वर्ष 20...............के लिए राष्ट्रीय जनता दल की क्रियाशील सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र तथा साथ ही 25 प्राथमिक सदस्यों का सदस्यता शुल्क 250 रूपये प्राप्त किया।

(ह0 राष्ट्रीय अध्यक्ष) ***(ह0 प्रदेश अध्यक्ष)*** ***(भर्तीकर्ता के हस्ताक्षर)***

राष्ट्रीय जनता दल

क्रियाशील सदस्यता फार्म (ग)

(संविधान की धारा ५(ख) के अनुसार)

क्रमांक..................

मैं राष्ट्रीय जनता दल का 20...........से 20.......... वर्ष के लिए क्रियाशील सदस्य भर्ती होना चाहता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि–

1. मेरी आयु 15 वर्ष अथवा अधिक है।
2. मैं अपने को मादक पेयों और औषधियों के प्रयोग से दूर रखता हूँ।
3. मैं किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को नहीं मानता हूँ और न ही उसे मान्यता देता हूँ।
4. मैं साम्प्रदायिक सदभाव में विश्वास रखता हूँ अर्थात् अन्य सभी धर्मों का आदर करता हूँ।
5. मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करने और न्यूनतम कार्यभार पूरा करने का वादा करता हूँ।
6. मैं..................से....................तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय जनता दल प्रकाशन का ग्राहक बन गया हूँ।

क्र.स.........................राज्य..................................दिनांक.................................

श्री/श्रीमती..

पिता/पति का नाम...

स्थायी निवास व कारोबार की जगह..

....मो0:..

आयु..पेशा...

.मैं वर्ष 20................एवं 20.......................तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय जनता दल का **सक्रिय सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ, जिसके लिए सीधी भर्ती** सदस्यता शुल्क 1000 रूपये जमा कर रहा/रही हूँ।

(ह0 राष्ट्रीय अध्यक्ष) (प्रार्थी का हस्ताक्षर)

प्रार्थी को दी जानेवाली रसीद

क्रम संख्या....................................राज्य का नाम..........................दिनांक.....................

श्री/श्रीमती..

स्थायी निवास व कारोबार की जगह..

उम्र...पेशा..से वर्ष 20................

से वर्ष 20...............के लिए राष्ट्रीय जनता दल की क्रियाशील सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र तथा साथ ही सीधी भर्ती सदस्यता शुल्क 1000 रूपये प्राप्त किया।

(ह0 राष्ट्रीय अध्यक्ष) **(ह0 प्रदेश अध्यक्ष)** **(भर्तीकर्ता के हस्ताक्षर)**

राष्ट्रीय जनता दल

के

नियम

(पार्टी संविधान की धाराओं के अधीन)

राष्ट्रीय जनता दल

के

नियम

(पार्टी संविधान की धाराओं के अधीन)

नियम

सं **धारा-3 उपबंध-4**

(1) विधनसभा क्षेत्र इकाई:

विधान सभा क्षेत्र के संयोजक का मनोनयन जिला इकाई के अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की जायगी।

धारा-3 उपबंध-7

(2) प्रारंभिक कमिटियां :

प्रारम्भिक इकाई का क्षेत्र साधारणत: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सीमा क्षेत्र के बुथ और म्यूनिसिपल क्षेत्र में वार्ड के बुथ होगा, जिसका निर्धारण संबंधित राज्य शाखाएं कर सकती है।

धारा-4 उपबंध-1

(3) **राज्य इकाइयों का क्षेत्र**

महानगर परिषद् को नगर निगम के चुनाव में उम्मीदवारों के चयन करने का अधिकार होगा। महानगर क्षेत्र की इकाई संबंधित राज्य की इकाई के अन्तर्गत उसके निरीक्षण और मार्ग-दर्शन में काम करेगी। इस बारे में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मार्ग-दर्शिका जारी करेंगे।

1.

धारा-5 (क)

(4) **सदस्यता :**

1. पार्टी का केन्द्रीय कार्यालय और राज्य शाखा प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता-फार्म छपवायेंगे।

2. सदस्यता-फार्म पर क्रमानुसार नम्बर डाले जायेंगे और उन पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर मुद्रित होंगे।

3. प्रारम्भिक सदस्यता फार्म बहियों के रूप में जारी किए जायेंगे ।हर बही में 25 फार्म होंगें क्रियाशील सदस्यता के लिए अलग बही तैयार की जायेगी।

4. (क) जिले में सदस्यों की भर्ती के लिए मुख्यत: जिला इकाई उत्तरदायी होगी। पार्टी की राज्य शाखा, जिला इकाइयों को सदस्यता फार्म जारी करेंगी। जिला इकाइयां अपनी अधीनस्थ कमिटियों को ये फार्म जारी करेंगी और इन कमिटियों के जरिये विभिन्न व्यक्तियों को फार्म जारी किए जाएंगे और किसी व्यक्ति को एक साथ 1250 से अधिक प्रारंभिक सदस्यता फार्म और 50 से अधिक क्रियाशील सदस्यता फार्म जारी नहीं किए जाएंगे। अधिक सदस्यता फार्म केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिये जाएंगे, जिन्होंने पहले दिए गए फार्मों का पूरा हिसाब और उन फार्मों से प्राप्त शुल्क जमा करा दिया होगा।

(ख) यदि अधीनस्थ कमिटियों के खिलाफ सदस्यता फार्म उपलब्ध न किए जाने की शिकायत है तो जिला इकाई सदस्यता फार्म जारी कर सकती है और यदि उचित समझें तो संबंधित कमिटी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती है। यदि इस प्रकार की भी शिकायत हो कि जिला इकाईयाँ उचित रूप से सदस्यता फार्म जारी नहीं कर रही है तो राज्य शाखा विभिन्न पार्टी इकाइयों और किसी भी व्यक्ति को सीधे फार्म जारी कर सकती हैं तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती हैं। यदि इस प्रकार की भी शिकायतें हो कि राज्य इकाइयां उचित रूप से फार्म वितरित नहीं कर रही हैं तो पार्टी का केन्द्रीय कार्यालय पार्टी के किसी भी व्यक्ति और कमिटियों को सीधे फार्म जारी करेगा।

5. (क) किसी भी व्यक्ति अथवा पार्टी की इकाइयों को सदस्यता फार्म जारी करते समय विधिवत रसीद लेनी होगी और उनसे लिखित रूप में यह भी वचन लेना होगा कि वे पूरे हिसाब के साथ इस्तेमाल न किए हुए फार्मों को वापिस लौटा देंगे और भर्ती किए गए सदस्यों का पूरा शुल्क भी जमा करा देंगे।

(ख) सदस्यता फार्म निम्नलिखित लोगों को जारी किए जायेंगे:

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों और स्थायी आमंत्रितों को ।

2. राष्ट्रीय जनता दल के सभी संसद सदस्यों को।

3. राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, स्थायी आमंत्रितों व विशिष्ट आमंत्रितों को ।

4. राज्य विधान मंडल, महानगर परिषद और नगर निगमों के सभी पार्टी सदस्यों और जिला व तहसील अथवा प्रखण्ड स्तर पर पंचायती राज्य संस्थाओं के पार्टी सदस्यों को।

5. पार्टी की जिला इकाइयों के सभी सदस्यों को।

6. प्रखण्ड या चुनाव क्षेत्र इकाइयों के सभी सदस्यों और अन्य क्रियाशील सदस्यों को।

7. पार्टी के सभी अधिकृत उम्मीदवारों को जिन्होंने संसद, विधान सभा या विधान परिषद् का चुनाव अथवा उपचुनाव लड़ा हो, लेकिन पराजित हुए हो।

(ग) व्यक्तियों या कमिटियों द्वारा इस्तेमाल न किए गए फार्म लौटाए जाने की स्थिति में प्राप्ति की हस्ताक्षरित रसीद जारी करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति इस्तेमाल न किए हुए फार्म और उनका हिसाब नहीं देता है, तो उसे संगठन के किसी भी चुनाव में खड़ा होने के लिए अयोग्य माना जायेगा।

6. (क) पार्टी की राज्य शाखाएं प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की भर्ती के फार्म जारी करने के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखेंगी, जिसमें प्रत्येक शाखा या व्यक्ति को जारी किए गए फार्मों की क्रमानुसार संख्या तथा उन्हें जारी किये

जाने की तारीख दर्ज होगी व इस्तेमाल न किए गए फार्मों को लौटा देने की तारीख दर्ज होगी।

(ख) पार्टी की जिला इकाइयों और अधीनस्थ कमिटियों को भी ऐसे रजिस्टर रखने होंगे।

7. (क) कोई भी इकाई या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उस समय तक भर्ती नहीं करेगा जब तक उसने प्रारम्भिक सदस्यता का सम्पूर्ण शुल्क अदा न कर दिया हो और क्रियाशील सदस्य होने पर पार्टी संविधान की धारा-5 की शर्तों को पूरा न किया हो।

(ख) राज्य राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी क्रियाशील सदस्यों की सूची से किसी भी क्रियाशील सदस्य का नाम हटा सकती है यदि जिला इकाई अथवा अधीनस्थ कमिटी जांच करने के पश्चात् यह सिद्ध कर दे कि उसने क्रियाशील सदस्यता के लिए संविधान की धारा-5 में उल्लिखित आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है।

राज्य इकाइयां प्रत्येक वर्ष में भर्ती किए गए प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्यों का विवरण और संख्या, भर्ती की आखिरी तारीख के बाद दो महीने के अंदर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय को भेजेगी। राज्य इकाइयां इस विवरण के साथ सदस्यता शुल्क और पार्टी कोष का केन्द्रीय अंश और साथ ही क्रियाशील सदस्यों की पूरी सूची भी पूरे विवरण के साथ भेज देंगी। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर सदस्य के रूप में भर्ती नहीं होगा।

(ख) जो भी राज्य इकाई या उसकी अधीनस्थ कमिटी इन नियमों का पालन करने में विफल रहती है वह अनुशासनात्मक कार्रवाई की पात्र होंगी।

9. एक जिले के लिए जारी किए गए प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्यता फार्म संबंधित राज्य इकाई के पूर्व स्वीकृति के बिना किसी दूसरे जिलों में काम में नहीं लाये जायेंगे।

10. प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्यों की भर्ती का क्षेत्र संबंधित राज्य तक सीमित रहेगा, जिसमें वह सदस्य बनता है, लेकिन कोई भी क्रियाशील सदस्य अपनी सदस्यता किसी दूसरे राज्य में स्थानान्तरित कराने की प्रार्थना कर सकता है।

धारा-5 (ख)

(5) क्रियाशील सदस्यता :

1. कोई भी व्यक्ति क्रियाशील सदस्य निम्नलिखित दो तरिका से बन सकता है।

(क) 25 प्रारंभिक सदस्य बनाकर क्रियाशील सदस्य बन सकते है।

(ख) विना प्रारंभिक सदस्य बनायें सीधी भती द्वारा 1000 रूपया जमा कर क्रियाशील सदस्य बन सकते है।

2. क्रियाशील सदस्यों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कार्य होंगे:

(क) पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण या शिक्षण शिविरों में एक वर्ष में कम-से-कम एक बार भाग लेना।

(ख) नीचे लिखे रचनात्मक कार्यक्रमों में से एक में भाग लेना।

1. अस्पृश्यता-निवारण ।
2. किसान-संगठन, कृषि मजदूर और जनजातियों का संगठन ।

3. नशाबन्दी और आत्मसंयम को बढ़ावा देना।
4. खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना ।
5. श्रमिकों का संगठन ।
6. युवकों का संगठन ।
7. छात्रों का संगठन ।
8. छोटी बचत अभियान को बढ़ावा देना ।
9. शिक्षा और वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना ।
10. गांवों में साफ-सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्य।
11. राष्ट्रभाषा प्रचार और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए काम करना।
12. सहकारिता को बढ़ावा देना।
13. पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों में काम करना ।
14. पंचायती राज को बढ़ावा देना ।
15. भूमि सेवा और अन्य रोजगार उत्पन्न करने वाली योजनाओं में काम करना।
16. ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना।
17. जातिगत और साम्प्रदायिक शांति के लिए काम करना।
18. महिला कल्याण के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना।

19. परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विकास में योगदान करना।

धारा-7

(6) सदस्यों की पंजिका :

(क) जिला कार्यकारिणी और अधीनस्थ कमिटियां, जो पार्टी की राज्य कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत होंगी, प्रारंभिक सदस्यों की सूचियां रखेगी। इन सूचियों में सदस्यों के बारे में निम्नलिखित बातें दर्ज होंगी :

1. क्रम संख्या
2. नाम
3. पिता या पति का नाम
4. स्थायी निवास स्थान अथवा कारोबार की जगह
5. स्थायी पता
6. वर्तमान पता
7. आयु
8. पेशा
9. भर्ती होने की तारीख
10. भर्ती के फार्म की क्रम संख्या
11. टिप्पणियां

(ख) राष्ट्रीय जनता दल की राज्य और जिला कार्यकारिणी क्रियाशील सदस्यों की स्थायी पंजी रखेगी। इन पंजिकाओं में सदस्यों के बारे में निम्नलिखित विवरण होगी :

1. क्रम संख्या
2. नाम
3. पिता या पति का नाम
4. स्थायी निवास स्थान अथवा कारोबार की जगह
5. स्थायी पता
6. वर्तमान पता
7. आयु
8. व्यवसाय या पेशा
9. क्रियाशील सदस्य के रूप में भर्ती होने की तारीख
10. क्रियाशील सदस्य फार्म की क्रम संख्या
11. अधीनस्थ कमिटी, जिसका आवेदक सदस्य है
12. प्रारंभिक सदस्य के रूप में भर्ती होने की तारीख
13. प्रारंभिक सदस्य की पंजिका में क्रम संख्या
14. सदस्यता नवीनीकरण के शुल्क की अदायगी की तारीख
15. क्रियाशील सदस्य के रूप में सदस्य की गतिविधियां।

(ग) जिला कार्यकारिणी या राज्य कार्यकारिणी के निर्णय या अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप यदि प्रारंभिक तथा क्रियाशील सदस्यों की सूची और रजिस्टर में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो संबंधित ईकाई के अध्यक्ष या मंत्री के हस्ताक्षर के साथ लाल स्याही से परिवर्तन किया जायेगा।

केन्द्रीय कार्यालय के निर्णयानुसार जिला इकाई सदस्य को क्रियाशील सदस्य होने का परिचय-पत्र निर्गत करेगी।

(7) प्रारम्भिक तथा क्रियाशील सदस्यों की सूची तैयार करना:

(क) हर तीन वर्ष में 31 मार्च से पूर्व या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित किए गए समय पर जिला इकाई पिछली अवधि में भर्ती किये गये या नवीनीकरण कराये गये प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्यों की प्रारंभिक सूची प्रकाशित करेगी। छानबीन के पश्चात् संशोधित व अंतिम सूची तीसरे वर्ष की 31 अगस्त तक या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित की गई तारीख तक प्रकाशित की जाएगी।

(ख) इस प्रकार प्रकाशित अंतिम सूची, आगामी सूची के तैयार होने तक अमल में आएगी।

धारा-9

(8) विशेष प्रतिनिधित्व :

(क) प्रखण्ड स्तर और उससे ऊपर की इकाइयों की परिषद्,

कार्यकारिणी अथवा समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मतपत्र के दो भाग होंगे, भाग एक चुने जाने वाले कुल सदस्यों के 60 प्रतिशत, समीपतम संख्या, उन सदस्यों के चुनाव के लिए होगा जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की विशेष श्रेणियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से चुने जाने वाले सदस्यों के लिए होगा तथा भाग दो में शेष चुने जाने वाले उम्मीदवारों के नाम होंगे। एक मतदाता हर भाग में संख्या एक से लेकर हर भाग में चुने जा सकने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या तक के लिए अपनी तरजीहें दर्ज कर सकता है। जिस मत पत्र पर भाग एक की संख्या "1" से भाग दो में निहित नामों की तरजीहें दर्ज नहीं होगी वह अवैध घोषित माना जाएगा। मतदान गुप्त तथा हर भाग के लिए इकहरी हस्तांतरित पद्धति के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा।

(ख) प्रखण्ड स्तर और उससे ऊपर की समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति में इकाई का अध्यक्ष इस बात का ध्यान रखेगा कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़े/अतिपिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों और महिलाओं को कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाये ताकि ऊपर लिखित श्रेणियों में से प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य अवश्य सम्मिलित हो। लेकिन शर्त यह होगी कि राष्ट्रीय और

राज्य स्तरों पर पांच पदों में से अर्थात् अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, विधानमंडल का नेता, उपाध्यक्ष/वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महासचिव /वरिष्ठ महासचिव में से एक-एक पद अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़े वर्गों/अतिपिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को प्राप्त हो।

(ग) प्राथमिक स्तर को छोड़ कर पार्टी के विभिन्न स्तरों पर केवल विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ही सहवरित सदस्य होंगे। कुल सहवरित सदस्यों में से कम से कम 25 प्रतिशत महिलाएं होंगी, 25 प्रतिशत अल्पसंख्यकों में से होंगे, 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों में से होंगे और शेष 20 प्रतिशत ऐसे वर्गों से होंगे, जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

(घ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति प्रारंभिक कमिटी का सहवरित सदस्य होगा।

(ड़) विशेष प्रतिनिधत्व के तहत राष्टीय जनता दल के संविधान में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अति पिछड़े वर्गो के लिए 28 प्रतिशत, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के लिए 17 प्रतिशत राष्टीय जनता दल ने अपने संगठनात्मक ढांचे में आरक्षण लागू किया है। पुरे देश में किसी भी दल के संगठनात्मक ढाचें में आरक्षण लागु करने वाला राष्ट्रीय जनता दल पहला दल है।

धारा-10 (क)

(9) प्रारंभिक कमिटी (बुथ कमिटी) :

प्रारंभिक इकाई के क्षेत्र में भर्ती हुए सभी प्रारंभिक सदस्य, प्रारंभिक

कमिटी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के चुनाव में मतदाता होंगे। प्रारंभिक कमिटी की अधिकतम संख्या अध्यक्ष सहित उसके कार्य क्षेत्र में बने प्रारंभिक सदस्यों के अनुसार निम्नलिखित आधार पर होगी :

प्रारंभिक सदस्यों की संख्या	प्रारंभिक कमिटी की अधिकतम संख्या
25 तक	5
50 या उससे अधिक	11

प्रारंभिक इकाई के सभी प्रारंभिक सदस्य निश्चित समय और स्थान पर चुनाव के लिए इकट्ठे होंगे और हर सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों में से एक को मत देने का अधिकार होगा। यह चुनाव हाथ दिखाकर होगा और चुनाव का नतीजा साधारण बहुमत के आधार पर घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक कमिटी के सदस्य भी इसी पद्धति से चुने जाएंगे।

धारा-10 (ख)

(9) (क) पंचायत/वार्ड कार्यकारणी

1. पंचायत/वार्ड कार्यकारणी के चुनाव के लिए उम्मीदवार का किसी पंचायत / वार्ड कमिटी का सदस्य होना अनिवार्य नही हैं।
2. पंचायत/वार्ड कार्यकारणी के चुनाव में खड़े होन वाले उम्मीदवारे का निवास स्थान साधारणतःउसी पंचायत के चुनाव क्षेत्र मे होना चाहिए।

धारा-11

(10) प्रखण्ड कार्यकारिणी :

(क) प्रखण्ड कार्यकारिणी के चुनाव के लिए उम्मीदवार का किसी पंचायत / वार्ड का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

(ख) प्रखण्ड कार्यकारिणी के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार का निवास स्थान साधारणतः उसी प्रखण्ड के चुनाव-क्षेत्र में होना चाहिए।

धारा-12

(11) **जिला कार्यकारिणी :**

(क) जिला कार्यकारिणी के चुनाव के उम्मीदवार के लिए किसी अधीनस्थ कमिटी या परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

(ख) जिला कार्यकारिणी के चुनाव में खड़े होने वाले किसी उम्मीदवार का निवास स्थान साधारणतया सम्बन्धित जिले में होना चाहिए।

धारा-13

(12) राज्य परिषद् :

(क) राज्य परिषद् के लिए उम्मीदवार का किसी अधीनस्थ कमिटी या परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

(ख) राज्य परिषद् के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार का निवास-स्थान साधारणतया संबंधित राज्य में होना चाहिए।

धारा-14

(13) राष्ट्रीय परिषद्

राष्ट्रीय परिषद् के वे सदस्य जो राष्ट्रीय परिषद् के विचारार्थ प्रस्ताव भेजना चाहते हैं, उन्हें यह प्रस्ताव लिखित रूप में राष्ट्रीय जनता दल के केन्द्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद् की बैठक की निश्चित तारीख से 15 दिन पूर्व भेज देना चाहिए।

धारा-18

(14) **डेलीगेट :**

राष्ट्रीय जनता दल के प्रारंभिक सदस्य ही राष्ट्रीय जनता दल के खुले

अधिवेशन में भाग ले सकेंगे।

धारा-20 का उपबंध-9

(15) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

1. इसके लिए अलग से उपविधि बनेगी उसका पंजीकरण कराया जा सकेगा।

(16) नामांकन मतदान की प्रक्रिया :

(क) 1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव में केवल राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य ही खड़ा हो सकता है।

2. नामांकन पत्र का प्रस्ताव और समर्थन राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य ही करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी सदस्य 5 से अधिक उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव नहीं करेगा।

3. नामांकन पत्रों पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की सहमति अंकित होगी।

(ख) 1. मतदान गुप्त रहेगा और इकहरी हस्तांतरणीय प्रणाली के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा।

2. मतदाता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के बराबर मतपत्र पर वोट अंकित कर सकता है, लेकिन शर्त यह होगी कि किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक मत नहीं दिये जा सकेंगे।

3. यदि कोई मतदाता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक वोट मत-पत्र पर अंकित करता है तो उसका मत-पत्र अवैध घोषित कर दिया जाएगा।

4. ये नियम राज्य परिषद्, राज्य कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और प्रखण्ड परिषद् कमिटी के सदस्यों के चुनाव में भी ज्यों-के-त्यों लागू होंगे।

5. राज्य शाखाओं और अधीनस्थ शाखाओं के अध्यक्षों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा और उनके परिणाम की घोषणा साधारण बहुमत के आधार पर होगी।

धारा-26

(17) सदस्यता की छानबीन :

1. कोई भी व्यक्ति, जिसे पार्टी संविधान की धारा 5(ख) के अन्तर्गत क्रियाशील सदस्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो अथवा जिसका नाम निकाल दिया गया हो या प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में गलत दर्ज किया गया हो अथवा कोई सदस्य, जिसे किसी के नाम दर्ज करने में एतराज हो तो वह संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास प्रारम्भिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अधिसूचित समय के अन्दर निश्चित रूप से कारण देते हुए इनकार कर देने या दर्ज करने के संबंध में एतराज भेज सकता है।

2. जिला निर्वाचन पदाधिकारी एतराज करने वाले या किसी अन्य संबंधित पक्ष की बात सुनने के पश्चात किसी नाम को दर्ज करने, ठीक करने या प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में से निकाल देने के संबंध में निर्देश दे सकती है। जिला कार्यकारिणी सामान्यतया ऐसी शिकायतों का

निपटारा, शिकायतें प्राप्त करने के बाद अधिसूचित समय के अंदर कर देगी।

3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त त्रिसदस्यीय समिति को किसी भी प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्य की सदस्यता-फार्म की छानबीन करने और सदस्य बनाने में पार्टी के संविधान और नियम का पालन हुआ है या नहीं के परीक्षण का अधिकार होगा। क्रियाशील सदस्यों द्वारा भेजी गई नियतकालिक रिपोर्टों की छानबीन भी कार्यकारिणी कर सकती है और वह संबंधित व्यक्तियों को सफाई का मौका देने के बाद अपना निर्णय देगी।

4. जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपनी कारवाई का संक्षिप्त विवरण रखेंगे और सभी सम्बंधित व्यक्तियों को लिए गए निर्णयों की प्रतिलिपि निर्णय लेने के अधिसूचित समय के अन्दर भेज देगी।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध तीन दिन के अन्दर प्रभावित पक्ष द्वारा चुनाव पदाधिकारी के सम्मुख अपील दायर की जाएगी। राज्य चुनाव पदाधिकारी अपीलों का फैसला, उनकी प्राप्ति के बाद अधिसूचित समय के अन्दर कर देंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय तभी अमल में आएंगे जब या तो उनके विरुद्ध अपील करने की अवधि बीत गई हो या की गई अपीलों पर फैसले दे दिये गये हो।

6. राष्ट्रीय, राज्य और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इन नियमों के अधीन उन्हें प्राप्त अधिकार के तहत एक या अधिक उप-समितियों को सौंपने का अधिकार होगा।

7. प्रभावित पक्ष राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपनी अपील राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय लेने के अधिसूचित समय के अंदर कर सकता है। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी गंभीर मामलों से संबंधित अपीलों पर ही विचार करेंगे और उनके निर्णय अंतिम समझे जायेगें।

धारा– 27

(18) चुनाव संबंधी विवाद :

1. राज्य शाखा के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों तथा राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों से संबंधित शिकायतें चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त चुनाव-विवाद समिति के सचिव के समक्ष याचिका के रूप में पेश करनी होगी।

2. केवल संबंधित राज्य परिषद् का सदस्य ही उपर्युक्त उपबंध (1) में उल्लेखित याचिका पेश कर सकता है।

3. ऊपर लिखे उपबंध (1) में उल्लेखित याचिकाओं के अतिरिक्त हर चुनाव याचिका, चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के अंदर, संबंधित जिला कार्यकारिणी द्वारा गठित चुनाव विवाद समिति के सचिव के समक्ष दायर करनी होगी। जिस जिले में तदर्थ समितियां है, वहाँ चुनाव विवाद समिति का गठन राज्य कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा और जिस राज्य में तदर्थ समिति है, उसमें चुनाव विवाद समिति का गठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा। जो भी हो जिला कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों के विरूद्ध पेश की जाने वाली याचिकाएं केवल राज्य चुनाव विवाद समिति के समक्ष ही दायर की जायेंगी।

4. चुनाव याचिकाएं संबंधित अधिकृत अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से लाकर दी जा सकती है या रजिस्ट्री पोस्ट द्वारा भेजी जा सकती हैं।
5. पार्टी की किसी भी इकाई को चुनाव याचिका या अपील का फैसला हो जाने से पहले किसी सदस्य या पदाधिकारी को उसकी सदस्यता या पद से हटाने या स्थगन की अंतरिम आज्ञा प्रदान करने का अधिकार नहीं होगा।
6. जिले की चुनाव विवाद समिति को चुनाव के विरूद्ध दी गई प्रत्येक याचिका के प्रस्तुत करने के सामान्यतया 30 दिन के अंदर निर्णय देना होगा। निश्चित समयावधि में जिला चुनाव विवाद समिति द्वारा निर्णय न देने पर राज्य चुनाव विवाद समिति इसके निर्णय के लिये व्यवस्था कर सकती है।
7. जिला चुनाव विवाद समिति के निर्णय की घोषणा के 10 दिन के अंदर राज्य विवाद समिति के सामने उस निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की जाएगी। इस तरह की सभी अपीलों पर सामान्यता दायर किये जाने के एक माह के अंदर निर्णय हो जाना चाहिए। अगर राज्य चुनाव विवाद समिति एक माह के अंदर निर्णय करने में असफल रहती है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसी अपीलों को निपटाने की समुचित व्यवस्था कर सकती है।
8. संबंधित कार्यकारिणी की स्वीकृति के बिना उस व्यक्ति के अलावा जो अपील या चुनाव याचिका दायर करता है किसी अन्य व्यक्ति को कार्यकारिणी के सामने बहस करने का अधिकार नहीं होगा। इन अपीलों की सुनवाई में वकील नहीं किये जायेंगें।
9. राज्य चुनाव विवाद समिति के निर्णय की घोषणा के 15 दिन के अंदर केन्द्रीय चुनाव विवाद समिति के समक्ष अपील दायर की जा सकेंगी।

केन्द्रीय चुनाव विवाद समिति इस तरह की अपील स्वीकार नहीं करेगी, जब तक कि ऐसी अपील में प्रारंम्भिक सबूत न हो।

धारा– 28

(19) चुनाव-तंत्र :

1. प्रत्येक राज्य निर्वाचन अधिकारी और उसके अधीन अन्य निर्वाचन अधिकारी पार्टी के सदस्य होंगे, वे पार्टी के किसी भी चुनाव के लिए अपने पद ग्रहण करने की अवधि में ऐसे क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में खड़े नहीं हो सकेंगे जिसमें वह निर्वाचन अधिकारी रहे हों।
2. राज्य तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय क्रमशः राज्य तथा इकाइयों के मुख्यालयों में होंगे, लेकिन शर्त यह है कि संबंधित राज्य कार्यकारिणी अथवा जिला कार्यकारिणी की विशेष अनुमति से, जो भी स्थिति हो, वे अपने कार्यालय अन्यत्र भी रख सकते है।
3. राज्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के सभी पार्टी चुनावों के संचालन करने का उत्तरदायी होगा। वह इस प्रकार के चुनावों के कार्यक्रम का निश्चय राज्य कार्यकारिणी की सलाह से करेगा। पार्टी संविधान तथा उसमें उल्लेखित नियमों के अनुसार चुनावों को ठीक ढंग से संचालन करने के लिए समुचित निर्णय लेने का उसे अधिकार होगा।
4. राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी राज्य निर्वाचन अधिकारी या किसी अन्य चुनाव अधिकारी को, जिसे उसने नियुक्त किया हो, हटा सकती है अगर उसे इस बात का विश्वास हो जाए कि उसने अपने पद का दायित्व उपयुक्त ढंग से नहीं निभाया या नहीं निभाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इस प्रकार की कारवाई करने से पूर्व उसे लगाये गये आरोपों की सफाई देने का अवसर प्रदान किया जाये।
5. राज्य निर्वाचन अधिकारी किसी भी जिला निर्वाचन या किसी भी चुनाव

अधिकारी को हटा सकता है, यदि उसे यह विश्वास हो जाय कि उसने ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, बशर्ते कि ऐसा किये जाने से पूर्व उसे लगाये गये आरोपों की सफाई देने का उचित अवसर प्रदान किया गया हो।

6. राज्य निर्वाचन अधिकारी अथवा उससे ऊपर के अधिकारी पूर्वानुमति के बिना किसी भी निर्वाचन अधिकारी या उच्च अधिकारी को अपने किसी भी कार्य या दायित्व दूसरे को सौपने या डेलीगेट करने का अधिकार नहीं होगा।

7. राज्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख अथवा नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में पार्टी चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर जिले में चुनावों के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी, एवं पोलिंग तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

8. जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्रों के स्थानों और प्रत्येक केन्द्र के अंतर्गत आए क्षेत्र का निर्धारण तथा उनका प्रकाशन चुनाव की तारीख से दो दिन पूर्व करेगा। वह मतदान के दिन, तारीख तथा निश्चित समय की विज्ञप्ति मतदान से कम से कम दो दिन पूर्व करेगा।

9. पोलिंग अधिकारी मतदान केन्द्र पर शांति व्यवस्था रखने के लिए जिम्मेदार होगा और उसके लिए उचित ढंग से चुनाव कराना जरूरी होगा।

10. नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा संबंधित निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख दिये जाने चाहिए या उसके नाम रजिस्ट्री द्वारा भेजे जाने चाहिए। नामांकन पत्र छपे हुए या हस्तलिखित हो सकते हैं।

11. ऐसे उम्मीदवार जिनके नामांकन पत्र वैध ठहराए गए हैं और वे नाम वापिस लेना चाहते हैं तो वे नाम वापिस लेने का पर्चा संबंधित निर्वाचन

अधिकारी के समक्ष दाखिल करेंगे अथवा उसका प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उसे दाखिल करेगा या निर्वाचन अधिकारी के पास रजिस्ट्री डाक से इस तरह से भेजा जाएगा कि वह मतदान आरम्भ होने से कम से कम 24 घंटे पूर्व पहुंच जाये। नाम वापिस लेने का पर्चा उम्मीदवार के हाथ से लिखा होना चाहिए।

12. मतपत्र द्वारा चुनाव की पद्धति नीचे लिखे प्रकार से होगी :

(क) मतदान अधिकारी (पोलिंग अधिकारी) पर मतदान की गोपनीयता बनाए रखने तथा निर्धारित समय पर मतदान स्थल में मतदाताओं के आने को व्यवस्थित रखने का दायित्व होगा।

(ख) जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित अधिकारी को संबंधित उम्मीदवारों की ओर से एजेंटों का मतदान स्थल में प्रवेश करने तथा मतदान के निरीक्षण के लिए स्वीकृति देने का अधिकार होगा। मतदान अधिकारी मत-पत्र देने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र के कोने में अपना संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

(ग) मतदान के समाप्त होने पर मतदान अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की गणना करेगा तथा इन आंकड़ों की रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी के पास भेजेगा। यदि उम्मीदवार चाहे तो वह तथा/अथवा उनका एक प्रतिनिधि गणना के समय उपस्थित रह सकता है।

(घ) विभिन्न मतदान केन्द्रों से प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या मिल जाने पर निर्वाचन अधिकारी चुनाव परिणाम की घोषणा करेगा।

13. हाथ उठाकर मतदान किये जाने की प्रणाली निम्नलिखित होगी:

(क) मतदान अधिकारी मतदान आरम्भ होने के समय की अधिसूचना

जारी करेगा। मतदान अधिकारी , यदि आवश्यक समझे, तो उसे मतदान का समय आधा घंटा बढ़ाने का अधिकार होगा।

(ख) मतदान अधिकारी मतदाताओं की बैठक के स्थान में प्रवेश करते समय उसकी छानबीन कर सकता है।

(ग) मतदान अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के एक एजेंट को मतगणना के समय रखेगा। गणना के पश्चात मतदान अधिकारी इन पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर परिणाम की लिखित घोषणा पर भी ले सकता है।

14. पार्टी चुनावों के दौरान उम्मीदवार मतदाताओं को लाने के लिए न तो वाहनों का प्रयोग करेंगे और न हीं अनुचित इश्तहारबाजी व दूसरे प्रकार का आम प्रचार करेंगे। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों का चुनाव अवैध हो जाएगा और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी।

15. राज्य परिषद के सदस्यों की पहली बैठक राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसी के सभापतित्व में बुलाई जाएगी या रि उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। इस बैठक द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से राज्य परिषद् के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होगा। इस तरह जिला परिषद के सदस्यों की बैठक का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में होगा, अथवा उसकी गैर-मौजूदगी में राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा और इस बैठक में जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को चुना जाएगा। इसी प्रकार प्रखंड की पहली बैठक प्रखंड निर्वाचन अधिकारी के सभापतित्व में उसी के द्वारा बुलाई जाएगी या फिर उसकी अनुपस्थिति में जिला निर्वाचन

अधिकारी द्वारा नामजद व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। ऐसी बैठक में प्रखंड या चुनाव क्षेत्र परिषद का अध्यक्ष या उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होगा।

धारा– 31

(20) केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन :

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्यारह सदस्य होंगे, प्रधान महासचिव और संसद में राष्ट्रीय जनता दल के नेता पदधारक के रूप में शामिल होंगे। संसद, विधान सभा व विधान परिषद् के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन पार्लियामेंट्री बोर्ड इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार करेगा। प्रधान महासचिव पार्लियामेंट्री बोर्ड के सचिव होंगे।
2. राष्ट्रीय अध्यक्ष के निदेशानुसार केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक प्रधान महासचिव आयोजित कर सकेंगे।
3. केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के निदेशानुसार होगा।
4. पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। मतभेद होने की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा।
5. कार्यकारिणी अपने गठन के बाद अपनी पहली बैठक में पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन करेगी जो नया बोर्ड बनने तक काम करता रहेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और दो पदेन सदस्यों के अतिरिक्त शेष सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से ही होंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित होंगे।
6. लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद् के चुनाव हेतु दल के चयनित उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित के हस्ताक्षर से आवंटित किया जायेगा।

धारा– 32

(21) राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड :

1. राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष (जो राज्य स्तर पर पार्टी संगठन में कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं करेंगे) और अधिक से अधिक 14 सदस्य होंगे, जिनमें राज्य राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, राज्य के प्रधान महासचिव और राज्य विधान मंडल में राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी शामिल हैं। राज्य राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड में सचिव होंगे।
2. चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत कमिटियों की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवारों की सिफारिश केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा। वह केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की हिदायतों के मुताबिक, विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव के लिए दल के उम्मीदवारों का चयन करेगा।
3. केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, उम्मीदवारों का चयन करने तथा चुनाव संचालन सम्बन्धी अन्य मामलों के बारे में राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक नियम बनाएगा।
4. राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन राज्य परिषद के सदस्यों में से सामान्यतः राज्य परिषद के गठन के बाद पहली बैठक में किया जाएगा। वह राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड नई राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड के गठन होने तक कार्य करता रहेगा।

धारा–33

(22) अनुशासन संबंधी नियम :

1. अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी /राज्य कार्यकारणी अनुशासन भंग के मामलों को निपटाने हेतु अनुशासनात्मक कारवाई करने के लिए समिति गठित करेगी,

जिसके सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

केन्द्रीय अनुशासन समिति, राज्य अनुशासन समिति के फैसलों के खिलाफ अपीलों को निपटाएगी और ऐसे मामलों का भी फैसला करेगी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव द्वारा भेजे जाएंगे।

2. निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य तथा जिला कार्यकारिणी, किसी पार्टी इकाई या उसके किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी के विरूद्ध, जिसने अनुशासन की अवज्ञा की हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है;

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी इकाई या पार्टी सदस्य के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है, किन्तु राष्ट्रीय परिषद के विरूद्ध नहीं।

(ख) राज्य परिषद की कार्यकारिणी केवल अधीनस्थ इकाइयों तथा उन व्यक्तियों के विरूद्ध कारवाई कर सकती है, जो राष्ट्रीय परिषद एवं संसद के सदस्य न हों। राष्ट्रीय परिषद तथा संसद के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने के लिए राज्य कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सिफारिश कर सकती है।

(ग) जिला कार्यकारिणी केवल अपनी अधीनस्थ इकाइयों तथा जिला इकाई के सदस्यों के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जिला परिषद को किसी डेलीगेट या विधान मंडल अथवा संसद सदस्य के विरूद्ध कारवाई करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामलों में वह केवल सक्षम अधिकारी को अनुशासनात्मक कारवाई के लिए सिफारिश भेज सकती है।

3. राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी अनुशासनात्मक कारवाई किये जाने के लिए पेश मामलों की जांच करने के उद्देश्य से उपसमितियां बना सकती है और सम्बंधित कार्यकारिणी से सिफारिशें कर सकती है।

4. मुअत्तलि या निलंबित करने का अधिकार :

(क) राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद की किसी भी अधीनस्थ पार्टी इकाई के किसी भी सदस्य को, यदि अनुशासन भंग किए जाने का प्रारंभिक सबूत हो, मुअत्तल कर सकते हैं। अध्यक्ष को चाहिए कि वह स्वयं ऐसे मामले को कोर ग्रुप की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु पेश कर दें।

(ख) राज्य शाखा या अध्यक्ष, पार्टी के किसी भी सदस्य, राज्य परिषद के अधीनस्थ किसी भी पार्टी इकाई और राज्य परिषद के किसी भी सदस्य को, यदि संबंधित इकाई या सदस्य के खिलाफ अनुशासन भंग होने का प्रारंभिक सबूत हो, मुअत्तल कर सकता है। लेकिन किसी संसद सदस्य, अपने राज्य के विधायक और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य को मुअत्तल नहीं कर सकता है। परन्तु शर्त यह है कि जिला इकाई अथवा राज्य परिषद के सदस्य के मामले में वह इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति से ही कर सकेगा। इस प्रकार की मुअत्तलि के तमाम मामले और तत्पश्चात् उन पर लिये निर्णय की रिपोर्ट मुअत्तलि याा फैसले के एक सप्ताह के अंदर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में भेजी जाएगी। लेकिन राज्य शाखा के अध्यक्ष को राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक के समक्ष यह मामला रखना होगा और अनुशासनात्मक कारवाई के मामलों को, जिनमें मुअत्तलि की आज्ञा प्रदान की गयी है, एक महीने के अंदर निपटाने के लिए पहल और कारवाई करनी होगी।

5. अनुशासन भंग होना :

अनुशासन भंग करने में निम्नलिखित शामिल है :

(क) राष्ट्रीय जनता दल के संवैधानिक उद्देश्यों के विपरीत कार्य करना।

(ख) राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम तथा निर्णय के विरूद्ध कार्य करना अथवा प्रचार करना।

स्पष्टीकरण : पार्टी के किसी भी निर्णय अथवा कार्यक्रम के संबंध में पार्टी के किसी भी स्वरूप को अपने विचार पार्टी मंच की परिधि में व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(ग) किसी भी सक्षम अधिकारी के निर्देश का उल्लंघन करना या किसी नियम का अवहेलना करना।

(घ) अनाधिकृत रूप से दल के लिए धन इकट्ठा करना, पार्टी कोष का दुरूपयोग करना या सदस्यों की भर्ती पर पार्टी के चुनाव में भ्रष्ट तरीके काम में लाना।

(ड.) शराब का धंधा करना।

(च) योजनानुसार ऐसा कार्य करना जिनसे राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे या पार्टी इकाइयों या पदाधिकारियों के खिलाफ प्रचार करना।

(छ) पार्टी के सदस्य के खिलाफ सार्वजनिक रूप से गम्भीर लांछन लगाना।

6. **नोटिस :**

(क) प्रत्येक स्तरों पर अध्यक्ष के निदेशानुसार नोटिस जारी किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी व्यक्ति अथवा कमिटी पर लगाये गये आरापों के स्पष्टीकरण के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिये बिना उसके विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कारवाई नहीं की जाएगी।

(ग) अनुशासनात्मक कारवाई करने के उद्देश्य से नोटिस जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि वह सक्षम अधिकारी यह समझता हो कि संबंधित कमिटी या व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

(घ) किसी भी स्तर पर अनुशासनात्मक कारवाई शुरू होने की तारीख से दो महीने के अंदर पूरी करनी होगी।

7. **दण्ड :**

(क) अनुशासन भंग करने का दण्ड पार्टी इकाई को उसके भंग किए जाने के रूप में दिया जा सकता है और अनुशासन भंग करने वाले सदस्यों के खिलाफ कोई अन्य कारवाई जो आवश्यक हो, की जा सकती है।

(ख) किसी पदाधिकारी या पार्टी इकाई के सदस्य के मामलों में उसे उसके पद या सदस्यता से हटाया जा सकता है और ऐसी अवधि निश्चित की जा सकती है जिसके दौरान न तो वह प्रारंभिक सदस्य बन सकता है, न किसी इकाई का सदस्य बन सकता है और न ही वह किसी पद के लिए चुना जा सकता है।

(ग) प्रारंभिक एवं क्रियाशील सदस्य के मामले में उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है एक निश्चित अवधि के लिए सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(घ) कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की गई हो और दण्ड दिया गया हो, यदि किसी स्वायत्त संस्था, विधान मंडल, संसद या पार्टी सदस्य होने के नाते कोई दूसरा पद ग्रहण किए हो तो उसे ऐसे निकायों के पद से हटाने के लिए कारवाई की जायेगी।

8. अनुशासनात्मक कारवाई की रिपोर्ट :

जब जिला कार्यकारिणी अथवा राज्य कार्यकारिणी में किसी एक ने अनुशासनात्मक कारवाई की हो तो उसके निर्णय की सूचना एक सप्ताह के अंदर क्रमशः राज्य कार्यकारिणी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दी जानी चाहिए।

9. अपील :

(क) किसी भी पार्टी इकाई या सदस्य को, जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, आदेश प्राप्त होने के तीन सप्ताह के अंदर राज्य कार्यकारिणी के ैसले के खिलफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास अपील करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि अपील कर दिये जाने वाले निर्णय तक आज्ञा का पालन किया जाए। पार्टी अध्यक्ष तथा राज्य शाखा के अध्यक्ष इस प्रकार की आज्ञा को, जैसा भी प्रकरण हो, यदि उचित समझे तो कार्यरूप में परिणत होने से रोक सकते हैं।

(ख) सम्बंधित समिति से आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर ही अपील के लिए दो प्रतियों में प्रार्थना पत्र भेज देना चाहिए।

(ग) इस प्रकार की अनुशासनात्मक कारवाई के विरूद्ध किसी को निर्वाचित समिति से हटाया गया हो, अपील के निर्णय तक रिक्त हुए स्थान की पूर्ति नहीं की जाएगी।

(घ) कोई भी अपील दायर होने के दो महीने के अंदर निपटा दी जाएगी।

(23) विविध :

1. चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अयोग्यताएं :

(क) राज्य चुनाव अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारी ऐसे

क्षेत्र में जहां वे इन पदों पर काम कर रहे हैं, पार्टी में चल रहे चुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद वे पद धारण के योग्य होंगे।

(ख) पार्टी का चन्दा और अन्य शुल्क नहीं देने वाले सांसद अथवा राज्य विधान मंडल के सदस्य, दल की कार्यकारिणी द्वारा निश्चित समयावधि के अंदर यदि पार्टी का चन्दा अदा नहीं करते हैं तो उन्हें पार्टी या संगठन के चुनाव में खड़ा होने से रोक दिया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त प्रावधान के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आवश्यकताओं के पूर्ति विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों या संबंधित अधिकारियों को करनी होगी।

1. राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल व विधायक दल और राज्य शाखा के पदाधिकारियों, को समय-समय पर सम्बंधित राज्य शाखा के पदाधिकारी और सम्बंधित जिला इकाई के पदाधिकारी को, उन सदस्यों के बारे में सूचना भेजनी होगी, जो निश्चित अवधि के अंदर बकाया राशि अदा नहीं कर पाए हैं।

2. राज्य शाखा और जिला इकाई के पदाधिकारियों को ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को चंदा न देने वाले उन सदस्यों के नामों की सूचना भेज देनी चाहिए ताकि विधान मंडल का अमुक सदस्य संगठन संबंधी चुनावों में खड़ा नहीं हो सकता।

3. जब विधान मंडल का सदस्य अपने चंदे या बकाया राशि

की अदायगी कर देगा तो पार्टी का प्रधान महासचिव राज्य इकाई और जिला इकाई के महासचिव को सूचित करेगा कि अमुक व्यक्ति ने चंदा अदा कर दिया है और इसी प्रकार राज्य शाखा और जिला इकाई के महासचिव राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सूचना देंगे। यदि राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रकार की सूचना नामांकन-पत्र दाखिल करने के कम से कम 24 घंटे पूर्व प्राप्त हो तो उस व्यक्ति के उम्मीदवार होने की योग्यता की घोषणा कर देगा।

(घ) पार्टी कार्यकर्ता, यदि वे संसद या विधान मंडल के सदस्य न हो, और चंदे की राशि भी अदा न की हो तो संगठन के चुनावों में खड़ा नहीं हो सकते है न किसी इकाई या समिति में नामजद ही किये जा सकते हैं।

(24) सहवरित सदस्यों का कार्यकाल :

सहवरित सदस्यों का कार्यकाल भी संबंधित समिति के चुने हुए सदस्यों का कार्य अवधि के बराबर होगा।

(25) पार्टी इकाई के सदस्यता चुनने का विकल्प :

(क) जहाँ राज्य इकाई या जिला इकाई का कोई सदस्य ऐसे क्षेत्र से चुना जाए, जहां वह नहीं रहता, वहां उसे उपरोक्त इकाइयों की पहली बैठक से पूर्व उस जिला इकाई या अधीनस्थ इकाई का नाम, जहां से वह सदस्य होना चाहता है, लिखकर जिला इकाई या प्रदेश इकाई के पास भेज देना चाहिए। अगर वह ऐसा करने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि वह जिस क्षेत्र से

चुना गया है, उस क्षेत्र की जिला इकाई या अधीनस्थ इकाई में सदस्य बनना उसने पसंद किया है।

(ख) संसद या विधान मंडल का कोई सदस्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाए जो एक से अधिक अधीनस्थ इकाइयों या जिला इकाइयों के अधिकार क्षेत्र में आता है तो जैसी स्थिति हो, उसे उस अधीनस्थ इकाई या जिला इकाई का पदेन सदस्य होने का अधिकार होगा, जिसमें वह साधारणतया रहता हो।

(26) मतदान का तरीका :

1. जहाँ किसी पद या कमेटी के लिए चुनाव के तरीके का विधान या नियमों में स्पष्टीकरण नहीं है, वहां मतदान मत पत्र द्वारा होगा और जहां एक से अधिक सदस्य चुने जाने है, वहां मतदान इकहरी हस्तांतरणीय पद्धति के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा।
2. स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रखण्ड या चुनाव क्षेत्र इकाई, जिला इकाई और राज्य इकाई के लिए चुनाव एक निर्वाचक-मंडल द्वारा होगा, जिसमें इन स्वायत्त संस्थाओं के चुने हुए पार्टी के सदस्य होंगे। यह चुनाव इकहरी हस्तांतरणीय प्रणाली के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा। इसी प्रकार पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल के संसद सदस्यों और विधायकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में मतदान की यही प्रणाली लागू होगी।

(27) पार्टी परिषदों या कमिटियों का गठन :

कोई भी पार्टी इकाई वैध रूप से गठित समझी जायेगी यदि संबंधित कमिटी या परिषद के लिए चुने जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या के तीन-चौथाई सदस्य विधिपूर्वक चुन लिये गये हों। कुल सदस्यों की संख्या निर्वाचन अधिकारी निश्चित करेंगे।

(28) कार्यवाहक अध्यक्ष :

किसी भी पार्टी इकाई के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अल्प अवधि के लिए यदि वह अध्यक्ष का काम सीमित अवधि के लिए अंजाम देने में असमर्थ है, अपने से ऊपर की सम्बंधित इकाई की पूर्व स्वीकृति लेकर उपाध्यक्षों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक विशेष अवधि के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं।

(29) जिला और उससे नीचे के स्तर पर तदर्थ समितियों का गठन :

जिला या अधीनस्थ इकाई या नीचे के स्तर की दूसरी पार्टी इकाई के पार्टी विधान या नियमों के अनुसार अथवा अपने से ऊपर की कमिटी के निर्देशानुसार गठन न होने की स्थिति में उच्चतर कमिटी तत्कालीन कमिटी को मुअत्तिल कर सकती है और उस क्षेत्र में काम करने के लिए तदर्थ समिति का गठन कर सकती है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य शाखा किसी भी जिला इकाई को भंग नहीं करेगी, न उसे मुअत्तिल करेगी और न ही किसी अन्य तदर्थ समिति का गठन करेगी। इसी प्रकार राज्य शाखा की अनुमति के बिना जिला इकाई न तो किसी अधीनस्थ इकाई को भंग करेगी और न वहां तदर्थ समिति बना सकेगी। इस तरह से गठित तदर्थ समिति सामान्यतः तीन महीने तक काम करेगी। लेकिन उच्चतर समिति की अनुमति से यह अवधि तीन-तीन माह के लिये और बढ़ायी जा सकती है जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि इस बारे में कोई विशेष निर्देश न दिये गयें हो, तो तदर्थ समिति को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो एक सामान्य इकाई को प्राप्त होते है।

(30) केन्द्रीय अनुशासन समिति के कार्य-पद्धति के नियम :

1. राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव द्वारा आरोपित अनुशासनहीनता का मामला भेजे जाने पर उस मामले का विवरण इस कार्य के लिए रखे गये रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
2. इस प्रकार का मामला दर्ज हो जाने पर उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जायेगा जिसके खिलाफ कोई शिकायत है या कार्रवाई शुरू की गई है। यह नोटिस और शिकायती पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि यदि कोई है तो सम्बंधित व्यक्ति को भेजी जायेगी। और उससे कहा जायेगा कि वह नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर अपना जवाब दायर कर दे।
3. इस प्रकार का नोटिस सम्बंधित व्यक्ति को प्राप्ति-पत्र सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा, या दस्ती, यदि वह व्यक्ति दिल्ली में ही उपलब्ध हो, भेजा जाएगा।
4. इस प्रकार के नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर केन्द्रीय अनुशासन समिति उसका अवलोकन करने के पश्चात निर्णय के लिए मुद्दे निश्चित करेगी और सम्बंधित पार्टी से पूछताछ करेगी कि क्या वे इस मामले में कोई सबूत मौखिक अथवा लिखित पेश करना चाहते हैं।
5. सम्बंधित पक्षों को, जैसी भी स्थिति हो, सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा। सम्बंधित पक्षों का यह मात्र दायित्व होगा कि वे अपना सबूत पेश करें।
6. केन्द्रीय अनुशासन समिति ज्यादा से ज्यादा किसी भी पक्ष के पहल करने पर किसी भी व्यक्ति को निवेदन पत्र जारी कर सकती है, जिसमें उससे साक्ष्य के लिए उपस्थित होने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन यदि सम्बंधित व्यक्ति इस निवेदन का पालन नहीं करता तो समिति दूसरा पत्र या नोटिस जारी नहीं करेगी।

7. सबूत देने का कार्य खत्म हो जाने के बाद सम्बंधित पक्षों के तर्क को सुना जाएगा और तत्पश्चात समिति मामले पर अपना फैसला करेगी और लिखित रूप में निर्णय देगी। यदि कोई पक्ष फैसला सुनाते समय हाजिर न हो तो इसकी सूचना सम्बंधित पक्षों को भेजी जाएगी।

8. यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, नोटिस दिए जाने के बावजूद गैर-हाजिर रहता है तो केन्द्रीय अनुशासन समिति, यदि उचित समझे या तो दूसरा नोटिस जारी कर सकती है या सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ एक पक्षीय कारवाई कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि एक पक्षीय कारवाई करने की स्थिति में, मामलें का फैसला होने से पूर्व सम्बंधित व्यक्ति यदि उपस्थिति होता है और समिति को तसल्ली करा देता है कि समिति के समक्ष पहले पेश होने में वह किसी उचित कारण से असमर्थ रहा है तो समिति एक पक्षीय कारवाई को रद्द कर सकती है और मामले की सुनवाई ऊपर लिखे ढंग से कर सकती है।

(31) अपील :

1.(क) अपील प्राप्त होने पर उसे इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और अपील की सुनवाई के लिए कोई तारीख निश्चित की जाएगी।

(ख) अपील के साथ अपील कर्त्ता अपने पत्र से भी सूचित करेगा जिसे पंजीकृत पता समझा जाएगा और उस पते पर भेजा गया कोई भी पत्र उसको दिया गया पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

(ग) अपीलकर्त्ता को सुनवाई की तारीख व्यक्तिगत रूप से या प्राप्ति कार्ड के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा या दस्ती चिट्ठी द्वारा यदि स्थानीय पता उपलब्ध हो, सूचित की जाएगी।

(घ) अपील की सुनवाई की तारीख से पूर्व संबंधित राज्य परिषद से अपील संबंधी कागजात मंगा लिए जाएंगे।

2. यदि आवश्यक समझा गया तो राज्य परिषद, जिसके निर्णय के खिलाफ अपील की गई हो, का तर्क भी उसके प्रतिनिधि के जरिए सुना जाएगा।

3. अपीलकर्त्ता और अन्य दूसरे व्यक्ति या निकाय को सुनने के पश्चात अपील पर फैसला उसी दिन दिया जा सकता है या सहूलियत के मुताबिक किसी दूसरे दिन फैसला सुनाए जाने की स्थिति में फैसला सम्बंधित पक्षों के पास भेजना होगा।

4. अपील के लिए ये नियम सम्पूर्ण नहीं है और केन्द्रीय अनुशासन समिति कोई प्रावधान न होने की अवस्था में प्राकृतिक न्याय, औचित्य आदि के अनुसार कारवाई कर सकती है।

*****